सत्यमेव जयते

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2020-21

वन विभाग, राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
2020-21

वन विभाग, राजस्थान

forest.rajasthan.gov.in

श्रीमती श्रुति शर्मा IFS
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान अरण्य भवन,
झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
फोन : 0141–2700016

प्राक्कथन

पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए वनों द्वारा प्रदत्त पारिस्थितिकी तंत्र नितांत आवश्यक है। हाल के वर्षों में, वन पारितंत्र द्वारा विश्व की पारिस्थितिक सुरक्षा को सुनिश्चित रखने में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण इसकी मान्यता बढी है। हमारे प्रदेश में वनों की स्थिति वन–मानव की परस्पर–निर्भरता से बहुत प्रभावित है। वनों के पारिस्थितिकी तंत्र पर वनों के नजदीक रहने वाले लोगों की ईंधन, चारा, काष्ठ, गैर–काष्ठ, वन उत्पादों आदि की आवश्यकता तथा विकास के कारण अत्यधिक दबाब है। वहीं दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन से पारिस्थितिकी तंत्र पर तनाव बढ़ा है। उक्त बदलते परिवेश में प्रदेश में वन विभाग से भी परंपरागत रूप से अपनाई जा रहीं कार्यशैली में भी समसामयिक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन अपेक्षित रहने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा निरंतर इस दिशा में कार्य किये जा रहे हैं।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप राज्य वन नीति, 2010 से आगे समसामयिक रूप से आवश्यक नवीन विषयों/संशोधित प्रस्तावों का समावेश करते हुए राज्य वन नीति का नवीन प्रारूप तैयार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में ईको–ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजस्थान ईको–ट्यूरिज्म पॉलिसी–2020 के प्रारूप को भी अंतिम रूप देने की कार्यवाही की जा रही है।

विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में 20956 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है तथा इस अवधि में अब तक 123.61 लाख पौधे आमजन को वितरित किये गये हैं। विभागीय वृक्षारोपण कार्यों में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा तैयार एक नवीन मोबाईल एप "वृक्षारोपण निगरानी एप" भी प्रचलित किया गया है। नगर वन योजना के अन्तर्गत कुल 6 नगर निगम क्षेत्रों जयपुर, उदयपुर, कोटा (उत्तर), कोटा (दक्षिण), जोधपुर, अजमेर में नगर वन विकसित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

राज्य में इमारती लकड़ी, बांस एवं अन्य लघु वन उपजों के विदोहन व मूल्य संवर्धन कर सुनियोजित तरीके से वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (RSFDC) का गठन किया जा चुका है। इससे प्रदेश में वन एवं गैर वन भूमि पर काष्ठ व अकाष्ठ वन उपज तथा वन क्षेत्रों में पर्यटन एवं इससे जुड़ी सेवाओं आदि वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

प्रदेश में लुप्तप्राय: पक्षियों के संरक्षण हेतु किये जा रहे विशेष प्रयासों में राज्य पक्षी गोडावण (Great Indian Bustard) के अतिरिक्त खरमोर (Lesser florican) हेतु क्रमशः जैसलमेर जिले के सम क्षेत्र तथा अजमेर जिले के सथाना गांव में स्थापित कृत्रिम प्रजनन केन्द्रों से उत्साहवर्धक परिणाम आने लगे हैं।

विभाग अपने प्रशासनिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग की गतिविधियों का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष सभी की जानकारी के लिये प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में विभाग का वर्ष 2020–21 का प्रशासनिक प्रतिवेदन आपके सम्मुख है। इस प्रतिवेदन को बनाने एवं सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा योगदान दिया गया है। एतदर्थ वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

मुझे विश्वास हैं कि यह प्रतिवेदन सभी के लिये लाभकारी होगा।

(श्रुति शर्मा)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
●	कार्यकारी सारांश	1–4
●	वन विभागः एक नजर में	5
●	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की क्रियान्विति	6
●	वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति जन घोषणा पत्र	7–11
अध्याय		
1.	राजस्थान के वन संसाधन	12–15
2.	प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली	16–21
3.	वन सुरक्षा	22–27
4.	वानिकी विकास	28–42
5.	मृदा एवं जल संरक्षण	43–44
6.	मूल्यांकन एवं प्रबोधन	45–48
7.	वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबन्धन	49–53
8.	कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त	54–56
9.	वन अनुसंधान	57–59
10.	विभागीय कार्य योजना	60–62
11.	तेन्दू पत्ता योजना	63–64
12.	ई–गर्वनेंस एवं जी.आई.एस.	65–68
13.	मानव संसाधन विकास	69–71
14.	परिशिष्ठ	72–87

(1) जिलेवार वन क्षेत्र का वर्गीकरण
(2) वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों का विवरण
(3) ईको सेन्सटिव जोन घोषित करवाने सम्बन्धित प्रगति
(4) राज्य योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति
(5) राजस्व प्राप्तियां
(6) वार्षिक योजना की भौतिक प्रगति
(7) बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण सम्बन्धित उपलब्धि
(8) विभाग से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की स्थिति
(9) नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक व जन लेखा समिति के प्रतिवेदन
(10) विधान सभा प्रश्नों के जवाब भिजवाने की प्रगति

■■■

कार्यकारी सारांश

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32862.50 वर्ग किमी. हैं, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60 प्रतिशत है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं, जो कुल वन क्षेत्र के क्रमशः 37.05, 56.43 और 6.52 प्रतिशत है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2019 के अनुसार राज्य का वनावरण **(Forest Cover)** 16629.51 वर्ग किमी. तथा वृक्षावरण **(Tree Cover)** 8112 वर्ग किमी. है अर्थात राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 24741.51 वर्ग किमी है जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.23 प्रतिशत है।

वन विभाग के प्रमुख विभागाध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान, जयपुर हैं, जिनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बंधी दायित्व का निर्वहन किया जाता है। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान वन्यजीव प्रबंधन सम्बंधी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, राजस्थान द्वारा राज्य में वन विकास संबंधित कार्यों तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं वन बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों का स्वतंत्र रूप से देखरेख एवं प्रबंध के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण के दायित्व निर्वहन में सहयोग हेतु राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं। प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं तथा प्रत्येक वन मंडल में सामान्यतः दो उपखंड हैं, जिसमें सहायक वन सरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। वन मंडल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज होती हैं, जिसके प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती हैं, जिसके प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। नाके के अन्तर्गत बीट का क्षेत्र होता है, जिसका प्रभारी वनरक्षक अथवा गेमवाचर होता हैं एवं यह वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है।

विभाग में सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय–प्रथम के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के स्तर पर तथा वनपाल, वन रक्षक, वाहन चालक एवं सर्वेयर के रिक्त पदों हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, जयपुर के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्ती दलों का गठन किया गया है। वन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये आवश्यक वायरलैस प्रणाली स्थापित की गई हैं एवं कतिपय क्षेत्रों में वनकर्मियों को हथियार भी उपलब्ध करवाये गये हैं। वन भूमि में अतिक्रमण हटाने के लिये राज्य सरकार द्वारा सम्बंधित सहायक वन संरक्षकों को भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–91 के अन्तर्गत तहसीलदार की समस्त शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया है।

राजस्थान वन अधिनियम 1953 में संशोधन कर राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम 2018 जारी कर उक्त अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत बांस प्रजाति को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। इससे गैर–वनभूमि पर किसानों एवं आम लोगों द्वारा बांस प्रजाति के उत्पादन किये जाने को

प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी। उक्त के अतिरिक्त राजस्थान वन (उपज अभिवहन) नियम 1957 की नियम 3 के उपनियम (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 09.02.1983 में आंशिक संशोधन कर उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी तक को वन उपज के राज्य से बाहर परिवहन किये जाने हेतु पारपत्र जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत् आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों का अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं, इस हेतु राज्य में T.A.D. विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्यरत है। प्रदेश में माह नबम्बर, 2020 तक विभिन्न ग्राम सभाओं में 79,600 दावे प्राप्त हुए। इनमें से पात्रता रखने वालों को 44071 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र (24965.22 हेक्टेयर) तथा 353 (4971.32 हेक्टेयर) सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन 109/2008 में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में वन विभाग द्वारा 21 वन मण्डलों में अस्वीकृत वनाधिकार प्रकरणों की दिनांक 31.12.2019 तक 7050 .shp File फोरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया, देहरादून को भिजवाई जा चुकी हैं।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि की स्वीकृति भारत सरकार/राज्य सरकार के स्तर पर दी जाती है। वर्ष 2014 से उक्त प्रस्ताव ऑनलाईन वेब पोर्टल PARIVESH के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। इस वर्ष दिनांक 31.12.2020 तक 41 प्रस्तावों में विधिवत स्वीकृति प्राप्त हुई हैं, जिनमे 222.08 हैक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु दी गई है। इसके फलस्वरूप 129.74 हैक्टेयर गैर वन भूमि प्राप्त हुई हैं एवं 118.94 हैक्टेयर परिभ्रांषित वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्यों हेतु राशि प्राप्त हुई है।

इस वर्ष विभाग द्वारा केवल 20956 हेक्टेयर क्षेत्र में ही वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है, क्योंकि नाबार्ड एवं जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.), जापान के वित्तीय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में किसी नये वृक्षारोपण कार्य का प्रावधान नहीं था, इसलिये इनमें केवल पूर्व में करवाये गये वृक्षारोपण कार्यों का संधारण कार्य ही करवाया गया है।

वन विभाग द्वारा दो नवीन परियोजनाऐं "Rajasthan Afforestation and Biodiversity Conservation Project (RABCP)" तथा "Rajasthan Forestry and Biodiversity Development Project (RFBDP)" राज्य स्तर से अनुमोदन उपरांत भारत सरकार को दिनांक 22.01.2020 को भिजवाई जा चुकी हैं। नगर वन योजना के अन्तर्गत कुल 6 नगर निगम क्षेत्रों जयपुर, उदयपुर, कोटा (उत्तर), कोटा (दक्षिण), जोधपुर, अजमेर में नगर वन विकसित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 को दिनांक 30.09.2018 से प्रभावशील घोषित किया गया है। इन अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण भी दिनांक 30.09.2018 से अस्तित्व में आ गया है। इस नये प्राधिकरण ने राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्थापित राजस्थान राज्य क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण फण्ड मैनेजमेन्ट एंव प्लानिंग अथारिटी का स्थान ले लिया है। स्टेट कैम्पा में वर्ष 2017–18 से 2020–21 की अवधि में रिलीज राशि 54824 लाख रूपये के विरूद्ध 49191 लाख रूपये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (NFL & DFL), परिभ्रांषित भूमि पर वृक्षारोपण (ANR), वन भूमि के सीमा स्तंभ निर्माण,

पक्की दीवार, वन चौकियों के निर्माण आदि कार्यों पर व्यय किये गये हैं।

राज्य में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित विकास कार्यों की गुणवत्ता विदित करने एवं सुनिश्चित करने के मद्देनजर मूल्यांकन कार्यों हेतु सम्भागीय स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई सृजित है। सभी मूल्यांकन इकाईयों के प्रभारी उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी हैं। विभागीय वृक्षारोपण कार्यों में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा तैयार एक नवीन मोबाईल एप ''वृक्षारोपण निगरानी एप'' भी प्रचलित किया गया है।

राज्य के वन विभाग शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिये वर्ष 1956 में राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मंडल की स्थापना की गई। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक विभागीय कार्य जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण कार्य किया जाता है।

राज्य में इमारती लकड़ी, बांस एवं अन्य लघु वन उपजों के दोहन व मूल्य संवर्धन कर सुनियोजित तरीके से वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (RSFDC) का गठन किया जा चुका है। इससे प्रदेश में वन एवं गैर वन भूमि पर काष्ठ व अकाष्ठ वन उपज तथा वन क्षेत्रों में पर्यटन एवं इससे जुड़ी सेवाओं आदि वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास को बढावा मिलेगा।

विभाग में ई–गवर्नेंस गतिविधियों को गति प्रदान करने एवं सफलतापूर्वक इनको सम्पादित करने के लिये ई–गवर्नेंस सैल का गठन किया गया है। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत नवीन इन्टीग्रेटेड पोर्टल–forest.rajasthan.gov.in को विकसित कराया गया है। यह विभाग की विभिन्न जानकारियॉ, गतिविधियॉ, परियोजनायें एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुचाने का एक सुगम माध्यम है। यह वेबसाईट App के रूप में भी कार्य करेगी तथा सभी प्रकार के platforms जैसे Android, IOS, Windows पर डाउनलोड की जा सकती है। यह पोर्टल नागरिकों को विभाग की सेवाएं एवं सूचनाएं प्रदान करने हेतु उपयोगी है।

विभाग की आई॰टी॰ शाखा में जी॰आई॰एस॰ कार्यों के अंतर्गत वन सीमाओं के डिजिटाईजेशन के उपरांत इनमें उत्तरोत्तर Accuracy प्राप्त करने हेतु डिजिटल वन सीमाओं के अद्यतन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। जी॰आई॰एस॰ डेटा का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के उपयोगी फॉरेस्ट मैप्स, कार्य आयोजना संबंधी मैप्स, मोबाईल में उपयोग हेतु डिजिटल ज्योग्राफिक डेटा, डिजिटल मैप्स फील्ड कार्यालयों में उपलब्ध कराये गये हैं। जी0आई0एस0 तकनीक का उपयोग कर भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून के वेब पोर्टल की फायर अलर्ट सुविधा के माध्यम से फॉरेस्ट फायर मैप तैयार कर सम्बन्धित कार्यालयों को उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है जिससे वनाग्नि प्रबंधन हेतु सहयोग लिया जा सके।

विभाग में मुख्यालय स्तर पर अरण्य भवन में सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई हुई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा से अरण्य भवन से ब्लॉक स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की जा सकती है। कोविड–19 की परिस्थितियों के मध्य नजर अधिकांश बैठकों को ऑनलाईन माध्यम से किया जाना ही सम्भव होने से इसमें अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में संभाग एवं वन मंडल स्तर तक के अधिकारियों से होने वाली बैठकों के अतिरिक्त अनेक स्तर पर होने वाली बैठकें ऑनलाईन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से सम्पन्न की जा रही हैं।

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नए प्रयोगों, नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के समस्त संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त सम्बंधित व्यक्तियों/छात्रों/संस्थाओं को प्रशिक्षण देने हेतु तीन संस्थाएं यथा राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, (RFWTI) राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर तथा मरू वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में स्थित हैं। इस (RFWTI) में कोविड–19 महामारी के कारण ऑनलाईन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किये गये हैं।

राज्य में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 अभयारण्य एवं 14 कन्जर्वेशन रिजर्व स्थित हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित हैं, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण के द्वारा चिडियाघरों के संधारण बाबत जारी गाईड लाईन अनुसार राज्य के सभी जैविक उद्यानों एवं चिडियाघरों पशु पक्षियों के स्वच्छता, ''हाईजीन'', रोग निरोधी, पोषण, तथा बीमार जानवरों के प्रबन्धन इत्यादि सम्बन्धित मामलों पर परामर्श देने हेतु राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 11.12.2020 द्वारा स्वास्थ्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में ईको–ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजस्थान ईको–ट्यूरिज्म पॉलिसी–2020 के प्रारूप को भी अंतिम रूप देने की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप रणथम्भौर एवं सरिस्का में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है।

प्रदेश में लुप्त प्रायः पक्षियों के संरक्षण हेतु किये जा रहे विशेष प्रयासों में राज्य पक्षी गोडावण (Great Indian Bustard) के अतिरिक्त खरमोर (Lesser Florican) के संबंध में उत्साहवर्धक परिणाम आने लगे हैं। जिनमें अब तक जैसलमेर जिले के सम क्षेत्र में स्थापित कृत्रिम प्रजनन केन्द्र में गोडावण के 16 चूजे तथा अजमेर जिले के सथाना गांव में अस्थायी कृत्रिम प्रजनन केन्द्र में खरमोर के 2 चूजे विकसित किये गये हैं।

प्रदेश की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढते हुए जैविक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए, विभाग द्वारा राज्य वन नीति के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, जन सहभागिता से संचालित वन विकास एवं वन संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आने लगे हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2019 में भी राजस्थान राज्य के वनावरण में वर्ष 2017 की तुलना में 57.51 वर्ग किमी की वृद्धि सार्थक प्रयासों की द्योतक है।

वन विभाग राजस्थान, राज्य में वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन एवं समग्र विकास हेतु सदैव तत्पर, एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित परिवार हैं, जिसका प्रत्येक सदस्य विभाग में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रतिबद्ध है।

❑❑❑

वन विभाग : एक नजर में

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग किमी.
प्रदेश का कुल वन क्षेत्र	:	32,862.50 वर्ग किमी.
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र	:	9.60
प्रदेश का कुल वनावरण	:	16,630 वर्ग किमी.
वृक्षावरण	:	8,112 वर्ग किमी.
वनावरण एवं वृक्षावरण	:	24,742 वर्ग किमी.
राज्य पशु	:	चिंकारा एवं ऊंट
राज्य पक्षी	:	गोडावण
राज्य वृक्ष	:	खेजड़ी
राज्य पुष्प	:	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान	:	3
वन्यजीव अभयारण्य	:	27
कंजर्वेशन रिजर्व	:	14
बाघ परियोजनाएं	:	3 (रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स)
रामसर स्थल	:	2 (केवलादेव नेशनल पार्क एवं सांभर झील)
कुल प्रादेशिक मण्डल	:	38
वन्यजीव मण्डल	:	16
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (कैडर स्ट्रेंथ)	:	145
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	429
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	:	7,658
एस.टी.पी.एफ.रणथम्भौर	:	112
लेखा एवं तकनीकी संवर्ग	:	710
मंत्रालयिक संवर्ग/कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	990
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	:	413
कार्यप्रभारित कर्मचारी	:	4262

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण वर्ष 2020
की क्रियान्विति की सूचना

घोषणा क्रमांक	विभाग से संबंधित अभिभाषण के बिन्दु	क्रियान्विति
90	एन.ए.एफ.सी.सी. के तहत नाबार्ड द्वारा प्राप्त अनुदान से बाडमेर जिले में 1 हजार 195 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण, जल व मृदा संरक्षण कार्यों हेतु 76 करोड 91 लाख रूपये के कार्य कराये जा रहे हैं।	एन.ए.एफ.सी.सी. (National Adaptation Fund for Climate Change) के तहत स्वीकृत परियोजनाके सफल क्रियान्वयन हेतु राजकीय विभागों से तकनीकी सहयोग व मार्गदर्शन हेतु जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है। परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित गंगापुरा व चाडियाली का माईक्रोप्लान तैयार कर लिया गया है तथा भीमगौड़ा व परिहारों की ढाणी का माईक्रोप्लान तैयार किया जाना प्रगतिरत हैं।
91	चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में 15 हजार 855 हेक्टेयर में वृक्षारोपण के साथ ही 1 करोड 9 लाख पौधों का वितरण किया गया है।	वित्तीय वर्ष 2019–20 में 16 हजार 664 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण के साथ ही 1 करोड 63 लाख पौधों का वितरण किया जा चुका है।

❑❑❑

वर्ष 2020–21 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	कियान्वयन हेतु समय सीमा
1	175.01.0	राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जनभागीदारी से सघन वृक्षारोपण जैसे कार्य करवाये जायेंगे।	राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये विभिन्न विभागीय योजनाओं में (कैम्पा, आर.डी.एफ., जलवायु परिवर्तन एवं मरूप्रसार रोक, आई.जी.एन.पी. क्षेत्र पुर्नवृक्षारोपण, भाखड़ा नांगल परियोजना, गंग नहर परियोजना, ई.टी.एफ) वर्ष 2019–20 में 16664 हेक्टेयर तथां वर्ष 2020–21 में 31.12.2020 तक 20956 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करवाये गये हैं। इस के अतिरिक्त बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020–21 में अन्य विभागों द्वारा 8800.22 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य सम्पादित कराया गया है। आगामी वर्षों में उक्त वृक्षारोपण क्षेत्रों में संधारण कार्य किया जायेगा।	पूर्ण	31.03.2021
2	176.0.0	गुरूनानक देव जी की 550 वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में 5 जिलों हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर एवं बूंदी में गुरूद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से एक विद्यमान उद्यान/नये उद्यान को गुरूनानक जयन्ती पार्क के रूप में विकसित किया जायेगा। इस पर कुल 1 करोड 25 लाख रूपये का व्यय होगा।	550 वीं गुरूनानक जयन्ती पर राज्य के पांच जिलों यथा हनुमानगढ (वनखण्ड कोहला के चक 15 केएसपी में), श्रीगंगानगर (ग्राम चक भागसर बारानी तहसील रायसिंहनगर में), कोटा (वनखण्ड आंवली रोझडी में), अलवर (नर्सरी मूंगस्का परिसर, अलवर में) एवं बून्दी (वनखण्ड चतरगंज बी में) में गुरूनानक जयन्ती वृक्ष वाटिका का विकास किया जा रहा है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा छः वर्षों में कुल राशि 1.03 करोड का व्यय किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 37.46 लाख रूपये की राशि व्यय की जाकर वृक्षारोपण कार्य किया जा चुका है तथा आगामी 5 वर्षों तक इनका संधारण कार्य किया जावेगा।	पूर्ण	31.03.2025
3	177.0.0	राज्य में वनों की उत्पादकता बढाने और इमारती लकडी, बांस एवं लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु 'राजस्थान राज्य वन विकास निगम' गठित किया जायेगा।	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन ''कम्पनीज ऑफ रजिस्ट्रार'' में कम्पनीज एक्ट, 2013 के अनुसार दिनांक 16.12.2020 को हो चुका है। जिसका मंत्रिमण्डल आज्ञा 2/2001 दिनांक 20.01.2021 से अनुमोदन प्राप्त किया गया।	पूर्ण	31.03.2021

4	**255.0.0**	मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को Leopard Conservation Area के रूप में विकसित किया जायेगा।	मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को लेपर्ड संरक्षण हेतु विकसित करने हेतु भारत सरकार के पत्र क्रमांक F-no 13–20/2020/WL, दिनांक 29.09.2020 द्वारा राशि 70.7915 लाख का एपीओ स्वीकृत हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा बजट जारी कर दिया गया है एवं कार्यालय द्वारा संबंधित APO हेतु बजट आवंटित कर दिया गया है।	प्रगतिरत	31.03.2021
5	**322.0.0**	सवाईमाधोपुर जिले में चंबल घड़ियाल अभयारण्य को विकसित किया जायेगा।	राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य के विकास हेतु घडियाल संभावित क्षेत्रों में 6 फीट दीवार निर्माण कार्य, वन क्षेत्रों का Boundary Pillar द्वारा सीमांकन, क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु वाचर लगाना, In-situ हैचरी निर्माण एवं संधारण आदि कार्य हेतु भारत सरकार से उनके पत्र दिनांक 09.10.2020 द्वारा राशि 157.65 लाख स्वीकृत हो चुके है। राज्य सरकार द्वारा बजट जारी कर दिया गया है एवं कार्यालय द्वारा संबंधित APO हेतु बजट आवंटित कर दिया गया है।	प्रगतिरत	31.03.2021

❑❑❑

वर्ष 2019–20 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
1	48.0.0	राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सहभागिता से एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर Japan International Co-operation Agency (JICA) को प्रस्तुत किया जायेगा।	राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढावा देने के लिए एक नवीन परियोजना प्रस्ताव Rajasthan Afforestation and Biodiversity Conservation Project (RABCP) को JICA के Rolling Plan में शामिल करने के लिए दिनांक 03.06.2020 को भारत सरकार के Department of Economics Affairs द्वारा अनुमोदित किया गया था। परियोजना की लागत 1803.42 करोड़ रू. है जिसमें JICA का अंश 1568.19 करोड़ रू. है।	पूर्ण	31.03.2020
2	134.09.0	प्रदेश में इस वर्ष वन विभाग द्वारा लगभग 1474 पदों पर भर्तियां की जायेंगी।	विभाग में वर्ष 2020–21 में सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से की जाने वाली भर्तियां निम्नानुसार हैं:– सहायक वन संरक्षक के 99 पद एवं रेंजर ग्रेड–I के 105 रिक्त् पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा कार्यक्रम आर.पी.एस.सी. द्वारा जारी कर दिया गया है तथा दिनांक 18.02.2021 से 20.02.2021 व 22.02.2021 से 26.02.2021 तक उक्त परीक्षाएं आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। विभाग में वनपाल के 87 एवं वनरक्षक के 1041 रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, जयपुर के विज्ञापन सं. 04/2020, दिनांक 11.11.2020 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। वाहन चालक के 99 एवं सर्वेयर के 43 संवर्ग को कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2020 के अनुक्रम में वर्गवार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना किये जाने एवं सीधी भर्ती के पदों को केन्द्रीकृत रूप से मुख्यालय स्तर से कर पुनः वर्गवार रिक्त पदों की गणना कर कार्यालय के पत्र क्रमांक 5938, दिनांक 11.11.2020 द्वारा राज्य सरकार को भिजवाने उपरान्त राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प0 7(1)वन/2018, दिनांक 12.11.2020 द्वारा RSSB को सीधी भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ हेतु प्रेषित की गई है। RSSB स्तर से विज्ञप्ति जारी की जानी है तथा कनिष्ठ अभियन्ता के 5, प्रयोगशाला सहायक के 13 एवं ट्रैक्टर गार्ड के 6 के पदों की अर्थना पुनः संशोधित कर कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2020 के अनुक्रम में वर्गवार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना प्रक्रियाधीन है। रिक्त पदों पर भर्ती करने के क्रम में वांछित स्वीकृति की कार्यवाही वित्त विभाग के स्तर पर विचाराधीन है।	प्रगतिरत	31.12.2020

3	146.0.0	रणथम्भौर नेशनल पार्क देश–विदेश के वन्यजीव प्रेमियों में काफी लोकप्रिय है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर राजस्थान को पहचान मिली है। टाईगर के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हम विशेष प्रयास करेंगे।	बाघ संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रयासों के अंतर्गत एक Strategy Plan तैयार किया जाकर राज्य सरकार से स्वीकृत हो चुका है।	पूर्ण	31.03.2020
4	147.0.0	गोडावण प्रदेश का राज्य पक्षी है। दुनिया में इस प्रजाति की संख्या अब 200 से भी कम रह गयी है, जिसमें से अधिकतर राजस्थान में ही हैं। अतः गोडावण के प्रभावी संरक्षण हेतु योजना बनायी जायेगी। साथ ही, इनकी artificial hatching हेतु भी प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं।	Critically Endangered राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राज्य सरकार में हुए त्रिपक्षीय करार के अनुसार सम में गोडावण का कृत्रिम प्रजनन आरम्भ कर दिया गया है। गोडावण के कृत्रिम प्रजनन के अतिरिक्त राष्ट्रीय मरू उद्यान, रामदेवरा व अन्य क्षेत्रों में इसके संरक्षण हेतु रू 223 करोड की एक योजना गोडावण संरक्षण हेतु बनाकर राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार से भी इसका अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इस बाबत बजट उपलब्ध कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पत्र क्रमांक मुमं/राज/2020/ 105827, दिनांक 13.03.2020 से माननीय केन्द्रीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार को पत्र भेजा गया है।	पूर्ण	31.03.2020
5	300.0.0	रणथम्भौर के निकट बून्दी और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाईगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए परीक्षण करवाया जायेगा।	रणथम्भौर के निकट बूंदी और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाईगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनायी जाकर परीक्षण पश्चात प्रस्ताव राज्य सरकार को पत्र संख्या 6262, दिनांक 17.01.2020 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।	पूर्ण	31.03.2020

❑❑❑

जन घोषणा पत्र (नीतिगत दस्तावेज)

कमांक	विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	कियान्वयन हेतु समय सीमा
15.5	प्रदेश पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करते हुए अधिक से अधिक पेड लगाने का युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक इच्छुक नागरिक को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाये जायेगें।	वर्ष 2020–21 में दिनांक 31.12.2020 तक 20956.47 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। इच्छुक नागरिक को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने के संबंध में अनेकों व्यावहारिक कठिनाई होने के कारण पालना किया जाना सम्भव नहीं है।	Not Feasible	
15.6	राज्य की वन एवं वन्यजीवों के उत्कृष्ट प्रबन्धन हेतु राज्य वन एवं वन्य जीव प्रबन्धन बोर्ड का गठन।	1. राज्य में राज्य वन्यजीव मण्डल प्रभावी है इसलिए अलग से वन्यजीव प्रबन्धन बोर्ड गठित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। 2. वन प्रबंधन हेतु वन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मार्गदर्शन हेतु मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य वन सलाहकार परिषद के गठन के आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिनांक 21.05.2010 को जारी किया हुआ है। इसलिए वन के उत्कृष्ट प्रबंधन हेतु अलग से बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है।	Task Completed	

❑❑❑

अध्याय – 1
राजस्थान के वन संसाधनः एक परिचय

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून अनुसार 23^0 40′ एवं 30^0 11′ उत्तरी अक्षांश तथा $69^0$29′ एवं $78^0$17′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित 342239 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.60 प्रतिशत भू–भाग पर वन क्षेत्र है तथा अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से 15 वें स्थान पर है। राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग मरूस्थलीय या अर्द्धमरूस्थलीय हैं, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं यत्र–तत्र विद्यमान है। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के मरूस्थलीय एवं गैर मरूस्थलीय भागों को अलग करती है।

1.1 वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति

प्रदेश में कुल अभिलेखित वनक्षेत्र (Recorded Forest Area) 32862.50 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserve Forest)	12176.24	37.05
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	18543.22	56.43
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassed Forest)	2143.04	6.52
	योग	**32862.50**	**100**

1.2 भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2019

देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) द्वारा वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिये 1987 से प्रत्येक दो वर्ष पर सुदूर संवेदन (Remote Sensing) आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट' जारी की जाती है। इसी क्रम में भारतीय दूर–संवेदी उपग्रह (IRS Resourcesat-2 LISS III Satellite) से मुख्यतः माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2017 की अवधि में प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया जाकर भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report)– 2019 जारी की गई जो इस श्रृंखला में 16वीं रिपोर्ट है।

इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य के क्रम में प्रकाशित सूचना के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं:–

1.2.1 Forest Cover in Rajasthan

	Area (in Sq Kms)	% of Geographical Area
VDF- Very Dense Forest (>70% Crop Density)	77.81	0.02
MDF-Moderately Dense Forest (40-70% Crop Density)	4341.90	1.27
OF- Open Forest (10-40% Crop Density)	12209.80	3.57
Total	16629.51	4.86
Scrub(< 10% Crop Density)	4760.04	1.39

1.2.2 Percentage area under different forest types of Rajasthan

As per the Champion & Seth Classification of Forest Types (1968), The forests in Rajasthan belong to two type groups i.e. Tropical Dry Deciduous and Tropical Thorn Forests which are further divided into 20 Forest Types. The Percentage area under different forest types of Rajasthan is given below:

S.No.	Forest Type	% of Forest Cover
1	5A/C1a Very Dry Teak Forest	5.63
2	5A/C1b Dry Teak Forest	0.21
3	5B/C2 Northern Dry Mixed Deciduous Forest	40.07
4	5/E1/DS1 Dry Deciduous Scrub	10.96
5	5/DS2 Dry Savannah Forest	0.02
6	5/E1 *Anogeissus pendula* Forest	15.21
7	5/E1/DS1 *Anogeissus pendula* Scrub	2.94
8	5/E2 *Boswellia* Forest	0.79
9	5/E5 *Butea* Forest	0.30
10	5/E6 *Aegle* Forest	0.01
11	5/E8a Phoenix /savannah Forest	0.01
12	5/1S1 Dry Tropical Riverain Forest	0.26
13	5/1S2 Khair Sissu Forest	1.52
14	6B/C1 desert Thorn Forest	6.17
15	6B/C2 Ravine Thorn Forest	1.93
16	6B/DS1 *Zizyphus* Scrub	0.94
17	6/DS2 Tropical *Euphorbia* Scrub	0.19
18	6/E1 *Euphorbia* Scrub	0.85
19	6/E2 *Acacia senegal* Forest	0.23
20	6/1S1 Desert Dune Scrub	6.62
	Plantation/Tree Outside Forests (TOF)	5.14
	Total	**100.00**

1.2.3 District -wise Forest Cover in Rajasthan

Area in Sq. Kms

District	Geographical Area (GA)	2019 Assessment				% of GA	Change w.r.t. 2017 assessment	Scrub
		VDF	MDF	OF	Total			
Ajmer	8481	0.00	43.00	262.11	305.11	3.60	6.11	204.64
Alwar	8380	59.00	334.96	802.70	1196.66	14.28	-0.34	245.66
Banswara	4522	0.00	38.57	229.85	268.42	5.94	7.42	63.45
Baran	6992	0.00	154.89	856.10	1010.99	14.46	-2.01	106.56
Barmer	28387	0.00	3.85	285.94	289.79	1.02	16.79	234.23
Bharatpur	5066	0.00	22.00	208.27	230.27	4.55	1.27	77.93
Bhilwara	10455	0.00	31.00	193.19	224.19	2.14	3.19	176.39
Bikaner	30239	0.88	27.23	227.50	255.61	0.85	8.61	51.85
Bundi	5776	1.00	137.93	418.25	557.18	9.65	-0.82	151.62
Chittaurgarh	7822	0.00	220.55	768.25	988.80	12.64	-0.20	100.09
Churu	13835	0.00	3.00	79.00	82.00	0.59	0.00	22.00
Dausa	3432	0.00	12.00	105.00	117.00	3.41	0.00	99.00
Dhaulpur	3033	0.00	80.00	339.00	419.00	13.81	0.00	75.40
Dungarpur	3770	0.00	42.71	259.59	302.30	8.02	11.30	75.35
Ganganagar	10978	0.00	10.00	102.92	112.92	1.03	-0.08	13.00
Hanumangarh	9656	1.00	7.00	81.96	89.96	0.93	-0.04	1.00
Jaipur	11143	12.00	97.11	443.65	552.76	4.96	0.76	285.39
Jaisalmer	38401	3.93	51.13	270.71	325.77	0.85	12.77	213.27
Jalor	10640	0.00	18.91	249.16	268.07	2.52	-6.93	250.89
Jhalawar	6219	0.00	83.02	352.56	435.58	7.00	-3.42	102.34
Jhunjhunun	5928	0.00	21.00	179.77	200.77	3.39	4.77	186.72
Jodhpur	22850	0.00	4.55	103.23	107.78	0.47	2.78	172.71
Karauli	5524	0.00	95.00	775.00	870.00	15.75	0.00	273.00
Kota	5217	0.00	153.62	393.11	546.73	10.48	-3.27	135.17
Nagaur	17718	0.00	15.00	132.04	147.04	0.83	4.04	102.32
Pali	12387	0.00	209.94	464.91	674.85	5.45	0.85	323.64
Pratapgarh	4449	0.00	562.54	475.37	1037.91	23.33	-6.09	58.73
Rajsamand	4655	0.00	134.91	386.88	521.79	11.21	10.79	124.23
Sawai Madhopur	4498	0.00	153.92	308.77	462.69	10.29	-3.31	119.67
Sikar	7732	0.00	31.00	162.06	193.06	2.50	1.06	202.34
Sirohi	5136	0.00	300.74	611.17	911.91	17.76	-2.09	229.36
Tonk	7194	0.00	26.94	138.12	165.06	2.29	0.06	57.73
Udaipur	11724	0.00	1213.88	1543.66	2757.54	23.51	-6.46	224.36
Grand Total	**342239**	**77.81**	**4341.90**	**12209.80**	**16629.51**	**4.86**	**57.51**	**4760.04**

1.3 प्रदेश का वानिकी परिदृश्य: एक दृष्टि में

● राज्य का कुल अभिलेखित वन (Recorded forest Area)	32862.50 वर्ग किमी
● राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि	9.60 प्रतिशत
● राज्य का कुल वनावरण (Forest Cover)	16630 वर्ग किमी
➢ अभिलेखित वन के अंतर्गत वनावरण	12282 वर्ग किमी
➢ अभिलेखित वन के बाहर वनावरण	4348 वर्ग किमी
● राज्य का वृक्षावरण (Tree Cover)	8112 वर्ग किमी
● राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण (Total Forest Cover & Tree Cover)	24742 वर्ग किमी
➢ राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का	7.23 प्रतिशत
➢ प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण एवं वृक्षावरण	0.036 हेक्टेयर

❑❑❑

अध्याय – 2
प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

2.1 वन प्रशासन

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिए अलग–अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्त्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सम्बंधी मानसिकता वन अधिकारियों/कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गई है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यतः निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है :

2.1.1 उच्च स्तरीय प्रशासन

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान, विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। इनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, वन्यजीव प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, नदी घाटी एवं बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनाएं, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता सम्बन्धी कार्यों की स्वतंत्र रूप से देखरेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) प्रदेश में विकास, वन सुरक्षा, बजट, शोध, शिक्षा तथा प्रसार आदि के साथ–साथ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य भी देख रहे हैं।
- मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर द्वारा वानिकी एवं वन्य जीव विषयों से संबंधित समस्त विषयों पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं प्रबंधन के कार्यों का संचालन किया जा रहा है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारू क्रियान्विति के लिये राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं।

2.1.2 मध्यम स्तरीय प्रशासन

- मध्यम स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के अनुरूप बनाया गया है। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से सम्भाग स्तर पर बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिये सम्भागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों के पद सृजित किये गये हैं। सभी सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स) के नियंत्रण में किया गया है। राज्य के सभी सातों क्षेत्रीय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों का कार्य क्षेत्र राजस्व सम्भागों के अनुरूप है।

- इन सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक–एक वन संरक्षक का पद भी है। ये वन संरक्षक, सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वरिष्ठतम सहयोगी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ साथ सौंपे गये अन्य दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्येक सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद भी सृजित किया गया है। इनके द्वारा सम्बन्धित सम्भाग के विभिन्न वन मण्डलों की कार्य योजना तैयार की जाती है तथा ये अधिकारी कार्य आयोजना सम्बन्धी कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) के नियंत्रण व निर्देशों के अनुरूप कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिये मुख्य वन संरक्षकों के अधीन उप वन संरक्षक (प्रशासन) तथा प्रत्येक सम्भाग के मूल्यांकन व प्रबोधन कार्यों के लिये एक पृथक् उप वन संरक्षक के नेतृत्व में पी. एण्ड एम. इकाई गठित की गई है। मूल्यांकन मण्डल अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। विधि सम्बन्धी कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रत्येक सम्भाग में उप वन संरक्षक (विधि) का पद भी सृजित किया गया है।
- इसी प्रकार वन्यजीव प्रबन्धन के लिये राज्य में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर एवं मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा कार्यरत हैं।
- प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं। प्रत्येक वन मण्डल में दो उप खण्ड बनाए गये हैं। इन उपखण्डों में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। सामान्यतया एक उपखण्ड में 3 से 4 रेंजें हैं। उपखण्ड प्रभारी सहायक वन संरक्षकों के कार्य–दायित्व पृथक् से निर्धारित किये गये हैं। इस प्रणाली से वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया जा रहा है। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण के साथ–साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्यजीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक् से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं।

2.1.3 कार्यकारी स्तर

वन मण्डल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज का प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होता है। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल / सहायक वनपाल होता है। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वनरक्षक

अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। विशिष्ट योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्यस्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

2.2 वन सेवा

प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये वन सेवाओं का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिये विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति अग्रानुसार है :–

2.2.1 भारतीय वन सेवा

राजस्थान में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की केडर स्ट्रेन्थ 145 है। जिसमें 89 वरिष्ठ ड्यूटी पद एवं शेष 56 पद केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, राज्य प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व के लिए स्वीकृत हैं।

(दिनांक 05.01.2021 की स्थिति अनुसार)

क्र.सं.	पद नाम	कैडर पद		एक्स कैडर पद पर कार्यरत
		स्वीकृत	कार्यरत	
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	2	2
2.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	6	3	9
3.	मुख्य वन संरक्षक	21	8	5
4.	वन संरक्षक	16	9	6
5.	उप वन संरक्षक	44	27	13

2.2.2 राजस्थान वन सेवा

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	उप वन संरक्षक (हायर सुपर टाईम स्केल)	5	0	5
2.	उप वन संरक्षक (सुपर टाईम स्केल)	26	2	24
3.	उप वन संरक्षक (सलेक्शन स्केल)	52	9	43
4.	उप वन संरक्षक (सीनियर स्केल)	78	26	52
5.	सहायक वन संरक्षक (जूनियर स्केल)	268	86	182
	योग	**429**	**123**	**306**

2.3 विभिन्न संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति (1.1.2021 की स्थिति)

2.3.1 राजपत्रित संवर्ग के विभिन्न अधिकारी

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी सेवा)	**4**	**2**	**2**
2.	सहायक कृषि अभियंता(अभियांत्रिकी सेवा)	**3**	**0**	**3**
3.	विभिन्न संवर्ग के अधिकारीगण	**130**	**85**	**45**

2.3.2 राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	जू–अधीक्षक	1	1	0
2	जू–सुपरवाईजर	4	0	4
3	रेंजर ग्रेड–I	258	130	128
4	रेंजर ग्रेड–II	451	219	232
5	वनपाल	979	709	270
6	सहायक वनपाल	1498	1073	425
7	वनरक्षक	4467	2405	2062
	योग	**7658**	**4537**	**3121**

2.3.3 लेखा संवर्ग एंव तकनीकी सेवा

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	लेखा संवर्ग एवं तकनीकी संवर्ग	710	397	313

2.3.4 मंत्रालयिक सेवा

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	मंत्रालयिक संवर्ग	990	691	299

2.3.5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	413	378	35

2.3.6 विशेष बाघ संरक्षण बल रणथम्भौर सवाई माधोपुर

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	विशेष बाघ संरक्षण बल रणथम्भौर सवाई माधोपुर के गठन हेतु स्वीकृत एंव रिक्त	112	72	40

2.4 विभाग में सीधी भर्ती नियुक्ति सम्बन्धित विवरण

- वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के सीधी भर्ती के 99 एवं रेंजर ग्रेड –I के 105 पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 21.01.2020 द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है तथा दिनांक 18.02.21 से परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
- क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी के नियुक्ति नियम 2017(संशोधित नियम 2020) के अध्याधीन नियम 3(8) में गठित समिति की बैठक दिनांक 16.10.2020 की अभिशंषा के क्रम में 5 खिलाडियों को राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक एवं 5 खिलाडियों को राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम, 2015 के अंतर्गत क्षेत्रीय वन अधिकारी –प्रथम के पद पर वर्ष 2020–21 की सीधी भर्ती की रिक्तियों के विरूद्ध प्रोविजनल नियुक्ति प्रदान की गयी है।
- विभाग में वनपाल के 87 एवं वनरक्षक के 1041 रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, जयपुर के विज्ञापन सं. 04/2020 दिनांक 11.11.2020 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। उक्त पद वनपाल एवं वनरक्षक के ऑन लाईन आवेदन दिनांक 08.12.2020 से 22.01.2021 तक आवेदन की अंतिम तारीख की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- वाहन चालक के 99 एवं सर्वेयर के 43 संवर्ग को कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2020 के अनुक्रम में वर्गवार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना किये जाने एवं सीधी भर्ती के पदों को केन्द्रीकृत रूप से मुख्यालय स्तर से कर पुनः वर्गवार रिक्त पदों की गणना कर जरिये पत्र दिनांक 11.11.2020 को राज्य सरकार को भिजवाने उपरान्त राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प07(1)वन/2018 दिनांक 12.11.2020 द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को सीधी भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ हेतु प्रेषित की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के स्तर से विज्ञप्ति जारी की जानी है।

- विभाग में कनिष्ठ सहायक के 96 पदों का प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग द्वारा दिनांक 16.05.2020 को आवंटन किया गया तथा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के अनुसूचित जाति व जनजाति के बैकलॉग के 2 पदों का आवंटन दिनांक 18.06.2020 को किया गया।

2.5 अनुकम्पात्मक नियुक्ति का विवरण (वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक)

क्र.सं.	पदनाम	प्रदान की गई नियुक्तियों की संख्या
1.	कनिष्ठ सहायक	14
2.	वनरक्षक	5
3.	वाहन चालक	2
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	16
	योग	**37**

2.6 अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग में विभागाध्यक्ष स्तर पर दी गई पदोन्नतियां (31.12.2020 तक)

क्र.सं.	पदनाम	दी गई पदोन्नतियों की संख्या	डी.पी.सी. वर्ष
1	क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय	44	2019–20
2	संस्थापन अधिकारी	3	2020–21
3	अति. प्रशासनिक अधिकारी	27	2020–21
4	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	45	2020–21
5	निजी सचिव	1	2020–21
6	अति.निजी सचिव	3	2020–21
7	निजी सहायक	6	2020–21

❑❑❑

अध्याय – 3

वन सुरक्षा

वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन तथा अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्यजीव संबंधी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार हैं–

3.1 गश्तीदल का गठन

वन क्षेत्रों में वन अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में कुल 10 गश्तीदल संभागीय एवं वन्यजीव मुख्य वन संरक्षकों के नियंत्रण अधीन कार्यरत हैं।

3.2 वायरलैस प्रणाली

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सशक्त सूचना सम्प्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अतिआवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाका/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलेस सैट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 284 वायरलेस सैट्स हैं, जिनमें से फिक्सड सैट्स की संख्या 144, वाहनों पर मोबाइल सैट्स 19 तथा हैण्डसेट्स 121 हैं।

3.3 वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हैं। इसका सामना करने हेतु विभाग में वर्तमान में 49 रिवॉल्वर एवं 145 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को आत्मरक्षा और वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध करायी गयी हैं।

3.4 एफ.एम.डी.एस.एस. पोर्टल

वन अपराधों संबन्धी विभिन्न प्रकार के प्रकरणों यथा अवैध कटान, अवैध खनन, वन भूमि पर अतिक्रमण एवं वन्यजीव अपराध इत्यादि को ऑनलाईन दर्ज करने हेतु एफ.एम.डी.एस.एस. पोर्टल (FMDSS Portal) तथा मोबाइल FMDSS app तैयार किया गया है। उक्त मोबाइल एप यूजर फ्रेण्डली है। इस एप के माध्यम से आसानी से विभिन्न वन अपराधों को दर्ज कर ऑनलाईन रिकार्ड तैयार किया जा रहा है। वन अपराध के कुल 81442 प्रकरणों को दिनांक 26.01.2021 तक FMDSS Portal दर्ज किया जा चुका है।

3.5 इण्डिया कोड पोर्टल

इण्डिया कोड पोर्टल पर केन्द्र तथा राज्य सरकार से सम्बन्धित समस्त अधिनियम/नियमों/ नोटिफिकेशनों का अपलोड/अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। वन विभाग के वन सुरक्षा अनुभाग द्वारा विभाग

से सम्बन्धित समस्त अधिनियम/ नियमों/ नोटिफिकेशनों को इण्डिया कोड पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विभाग द्वारा मुख्य रूप से दो अधिनियम राजस्थान वन अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 को अपलोड किया है। उपरोक्त क्रम में अभी तक अपलोड किये गये विभिन्न नियम एवं नोटिफिकेशन निम्नानुसार हैं:–

- राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत 12 नियमों, 11 नोटिफिकेशनों तथा 2 आदेश
- राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत एक नियम राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 एवं इसके अंतर्गत 2 नोटिफिकेशन
- केन्द्रीय अधिनियम वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत एक नियम वन्यजीव (संरक्षण) (राजस्थान) नियम,1977 तथा 12 नोटिफिकेशन।
- जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक नियम राजस्थान जैवविविधता नियम, 2010

उपरोक्त सभी को इण्डिया कोड पोर्टल पर सम्बन्धित अधिनियम के नाम से सर्च कर अधिनियम/ नियम/ नोटिफिकेशन को पी.डी.एफ. (searchable.pdf) में डाउनलोड किया जा सकता है।

(A) वित्तीय वर्ष 2019–20 में वन अपराध के दर्ज प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	वन अपराध का प्रकार	लम्बित प्रकरण दिनांक 01.04.2019 तक	इस वर्ष में दर्ज प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	एवजाना राशि (लाख रू0 में)
1.	अवैध खनन	1864	1648	1817	524.85
2.	अवैध कटान	1611	3017	3261	114.52
3.	अवैध चराई	731	3409	3587	46.76
4.	वन्यजीव अपराध	1890	355	184	20.73
5.	शाख तरासी /वृक्ष छंगाई	134	1142	1168	16.76
6.	सीमा चिन्हों की तोडफोड/ परिवर्तन	36	3	3	0.2
7.	वन उत्पाद का अवैध परिवहन	604	1938	1716	742
8.	अवैध आरा मशीन	1084	254	322	19.19
9.	अन्य अपराध	1319	1963	2116	145.72
	योग	**9273**	**13729**	**14174**	**1630.73**

(B) वित्तीय वर्ष 2020–21 में वन अपराध के दर्ज प्रकरणों का विवरण

(31.12.2020 तक की सूचनानुसार)

क्र. सं.	वन अपराध का प्रकार	लम्बित प्रकरण दिनांक 01.04.2020 तक	इस वर्ष में दर्ज प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	एवजाना राशि (लाख रू0 में)
1.	अवैध खनन	1695	1401	983	106.36
2.	अवैध कटान	1367	2402	2154	15.41
3.	अवैध चराई	553	2594	2446	37.18
4.	वन्यजीव अपराध	2061	328	90	7.65
5.	शाख तरासी /वृक्ष छंगाई	108	999	933	6.72
6.	सीमा चिन्हों की तोडफोड/ परिवर्तन	36	1	1	0
7.	वन उत्पाद का अवैध परिवहन	826	1219	785	261.46
8.	अवैध आरा मशीन	1016	177	25	3.65
9.	अन्य अपराध	1166	1599	1147	43.87
	योग	**8828**	**10720**	**8564**	**482.3**

3.6 वन भूमि पर दर्ज अतिक्रमण प्रकरण

वनभूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित सहायक वन संरक्षकों को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलदार की समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया है तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34(A) के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य से अतिक्रमण की बेदखली हेतु कारवाई का प्रावधान है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिनांक 31.12.2020 तक प्राप्त सूचना अनुसार 246 प्रकरण दर्ज हुए। वर्तमान में वनभूमि पर कुल 12356 प्रकरण अतिक्रमण के दर्ज हैं, जिसमें 13585 हैक्टेयर वन भूमि क्षेत्र शामिल है, इनमें से दिनांक 31.12.2020 तक 215.883 हैक्टेयर वन भूमि से संबंधित कुल 341 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर बतौर मुआवजा राशि रूपये 40.00 लाख वसूल की गई है।

3.7 वन अधिकार पत्र

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के प्रावधानों अंतर्गत प्रदेश में आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों हेतु अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में उक्त अधिनियम की क्रियान्विति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उप मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिसमें वन अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्राम सभाओं द्वारा ''वन अधिकार समितियां'' गठित की गई है। जिनके द्वारा ग्रामसभाओं को प्रेषित दावों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उप मण्डल स्तरीय समिति के पास ग्रामसभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का कमेटी द्वारा परीक्षण कर अपनी अभिशंषा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर वन अधिकार पत्र दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग(नोडल विभाग) की विभागीय वेबसाईट के अनुसारप्रदेश में नवम्बर, 2020 तक कुल 79,600 दावे विभिन्न ग्राम सभाओं में प्राप्त हुए। इनमें से व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र 44071 (24965.22 हेक्टेयर) तथा सामुदायिक वन अधिकार पत्र 353 (4971.32 हेक्टेयर) कुल 44424 (29936.54 हेक्टेयर) वन अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अस्वीकृत वनाधिकार प्रकरणों के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन 109/2008 वाईल्ड लाईफ फर्स्ट व अन्य बनाम वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.02.19, 28.02.19, 06.08.19 तथा 12.09.19 की पालना में वन सुरक्षा अनुभाग को रिव्यू के पश्चात् कुल 21 वन मण्डलों से अस्वीकृत वनाधिकार प्रकरण की 7050 .kml/ .shp Files प्राप्त हुई, जिनमें वनभूमि पर अतिक्रमण है। इस अनुभाग द्वारा प्राप्त .kml की .shp File तैयार कर दिनांक 31.12.2020 तक कुल 7050.shp File अनुसूचित जनजाति, क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर तथा फोरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया को प्रेषित की गई हैं।

3.8 वन अधिनियम/नियम/परिपत्रों में संशोधन

राजस्थान वन अधिनियम 1953 में संशोधन कर राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2018 जारी कर उक्त अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत बांस प्रजाति को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। इससे गैर–वनभूमिपर किसानों एवं आम लोगों द्वारा बांस प्रजाति के उत्पादन किये जाने को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उनकी आय में भी वृद्वि होगी।

राजस्थान वन (उपज अभिवहन)नियम 1957 की नियम 3 के उपनियम (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के

परिपत्र क्रमांक एफ–2(1)रे वे/8/73/पार्ट–1/जयपुर, दिनांक 09.02.1983 में आंशिक संशोधन कर उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी तक को वन उपज के राज्य से बाहर परिवहन किये जाने हेतु पारपत्र जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 50(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वन अपराध में जब्त वाहनों के अधिहरण हेतु सहायक वन संरक्षकों के पद रिक्त होने/अवकाश पर रहने/मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में संबंधित उप वन संरक्षकों को क्षेत्राधिकार अनुसार अधिकृत किया गया है।

राजस्थान वन नीति तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप राज्य वन नीति, 2010 में समसामयिक रूप से आवश्यक नवीन विषयों/संशोधित प्रस्तावों का समावेश करते हुए राज्य वन नीति का नवीन प्रारूप तैयार किया जा चुका है।

3.9 वन भूमि का प्रत्यावर्तन

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि/क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य करने से पूर्व राज्य सरकार/ भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11–232/2014 दिनांक 24.07.2014 के अनुसार दिनांक 15.08.2014 से वन भूमि प्रत्यावर्तन के सभी प्रकार के प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल PARIVESH पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन रजिस्टर किये जाते हैं। वर्तमान में उक्त क्रम में आवेदन एवं आवेदन से स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया ऑन लाईन है।

वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति राज्य सरकार /भारत सरकार द्वारा दो चरणों में जारी की जाती है। प्रथम चरण में कुछ शर्तें अधिरोपित कर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जाती हैं, जिनकी पालना संबंधित आवेदककर्ता विभाग/प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा करने पर अनुपालना राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी की जाती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11–9/98–एफसी दि. 13.2.14 के क्रम में 1 हैक्टेयर तक के जनोपयोगी कार्यो के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। ''लीनियर'' प्रकृति के समस्त तथा 40 हेक्टेयर वन भूमि तक के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (खनन एवं अतिक्रमण के नियमतिकरण के प्रस्तावों को छोडकर) में आवश्यक अनुमतियां भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय–लखनऊ द्वारा जारी की जाती हैं तथा 40 हेक्टेयर से अधिक (समस्त खनन एवं अतिक्रमण के नियमतिकरण के प्रस्ताव सम्मिलित) के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में आवश्यक अनुमति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की जाती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जो परियोजनाएँ वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों से होकर या 10 किलोमीटर परिधी में से होकर गुजरती है, उनमें सक्षम स्तर से स्वीकृति लेने से पूर्व Wildlife Clearance भी प्राप्त करना आवश्यक है।

Abstract of development project under FCA, 1980 as on 31.12.2020 (on line & offline)

Sr. No.	Category/ Deptt.	Proposal under consideration with							No of cases in which in principle sanction has been issued	No of cases in which final sanction has been issued (1.01.20 to 31.12.20)	Forest area diverted (in Ha)	Area received	
		User Agency	Government of India	Government of Rajasthan	PCCF	CCF	DCF	Total				Non forest land (in Ha)	Degraded forest land (in Ha)
1	Irrigation	0	3	0	2	1	1	7	1	0	0	0	0
2	Drinking Water (PHED)	5	2	2	3	1	1	14	12	1	0.0810	0	0
3	ROAD (NHAI/ PWD)	44	2	9	1	4	8	68	52	7	28.7495	22.7700	0.4600
4	RUIDP	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.9980	1.8750	0
5	TRANSMISSION LINE (RRVPNL/ PGCIL/ DISCOM)	5	2	2	4	1	4	18	15	11	65.2461	7.4360	115.6202
6	Indian Railway	0	1	0	0	0	0	1	1	2	86.8600	86.8600	0
7	Others	17	4	19	17	6	13	76	21	19	40.1415	10.8001	2.8600
Total		**71**	**14**	**32**	**27**	**13**	**28**	**185**	**102**	**41**	**222.0761**	**129.7411**	**118.9402**

अध्याय – 4

वानिकी विकास

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बडा राज्य है, किन्तु राज्य का 9.60 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.86 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के सम्पूर्ण भू भाग के 20 प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बने रहने के साथ–साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके।

प्रदेश की विषम परिस्थितियाँ यथा दो–तिहाई मरूप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की कमी एवं अत्याधिक जैविक दबाव एवं दीमक के प्रकोप के बावजूद वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्वि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं वन विकास d st fj ; sl ékkj usd h furka v ko' ; d rk gS Hkkj rh ou l oZ{k k (Forest Survey of India), भारत सरकार द्वारा वन क्षेत्र में एवं वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षाच्छादित क्षेत्र का सर्वेक्षण सैटेलाईट ईमेजरी के माध्यम से किया जाकर प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ''इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट'' प्रकाशित की जाती है। राजस्थान उन चुनिन्दा राज्यों में से है, जिसमें वर्ष 1991 से लेकर अब तक वृक्षाच्छादित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई है। इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट, 2019 में भी राजस्थान में 57.51 वर्ग कि0मी0 वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दर्शायी गयी है।

4.1 वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमान, प्रतिकूल जलवायु एवं दो–तिहाई क्षेत्र मरू भूमि होने के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्राषिंत वनों की पुरस्थापना, पंचायत भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उडती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, उडती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाऊ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चारागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण–संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवृद्धि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधे परम्परागत पौधशालाओं एवं उन्नत पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते है।

4.2 बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति

कार्य का विवरण	उपलब्धि			
	2017–18	2018–19	2019–20	(दिसम्बर, 2020 तक)
पौधारोपण (है0 में)	43873	34798	28510	29756
पौधारोपण (लाखों में)	300.665	203.556	179.649	196.446

* जिलेवार विवरण परिशिष्ठ के रूप में पृथक में संलग्न से संलग्न किया गया है।

4.3 वन विकास की योजनाएँ

राज्य में वन विकास की कईं योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त नाबार्ड एवं जापान इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.), जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

4.3.1 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 जापान इन्टरनेशनल कॉ–आपरेशन ऐजेन्सी (JICA) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के दस मरूस्थलीय जिले (सीकर, झून्झूनू, चूरू, जालौर, बाडमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर) एवं पांच गैर मरूस्थलीय जिले (बांसवाडा, डूंगरपुर, भीलवाडा, सिरोही, जयपुर) तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, फुलवाडी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, जयसमन्द वन्यजीव अभयारण्य, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य, रावली टाडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य) में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 650 गांव (मरूस्थलीय जिलों में 363 गांव, गैर–मरूस्थलीय जिलों में 225 गांव व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के दो किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में 62 गांव) को चिन्हित किया गया है। उक्त परियोजना का मुख्य उद्देश्य ''साझा वन प्रबंधन (JFM) की प्रक्रिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन–समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना'' है।

यह परियोजना मूलतः 2011–12 से 2018–19 तक आठ वर्ष हेतु स्वीकृत की गई थी। इसकी कुल लागत 1152.53 करोड़ है, जिसमें से 884.77 करोड़ का JICA द्वारा ऋण व 267.76 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा है। जायका के साथ हुए ऋण अनुबंध की अक्टूबर 2021 तक वैधता तथा अवशेष ऋण राशि के कारण परियोजना कार्यावधि में दो वर्ष की अभिवृद्धि वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 हेतु की गई है। इस अवधि में कोई नया लक्ष्य नहीं है अपितु केवल संधारण कार्य ही करवाये जा रहे हैं।

4.3.1.1 परियोजना का विवरण

Sr. No.	PACKAGES	TOTAL (in Crore)
1	AFFORESTATION	423.28
2	AGRO FORESTRY ACTIVITIES	1.63
3	WATER CONSERVATION STRUCTURES	46.92
4	BIODIVERSITY CONSERVATION	84.36
5	POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT	16.89
6	COMMUNITY MOBILIZATION	65.42
7	CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH	6.34
8	PROJECT MANAGEMENT	29.82
9	MONITORING & EVALUATION	5.90
10	CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU	14.96
	TOTAL	**695.52**
11	PRICE ESCALATION	97.50
12	PHYSICAL CONTINGENCY	79.30
13	CONSULTING SERVICES	12.47
14	ADMINISTRATIVE COST	219.17
15	VAT & IMPORT TAX	14.00
16	INTEREST DURING CONSTRUCTION	27.50
17	COMMITMENT CHARGES	7.07
	TOTAL	457.01
	GRAND TOTAL	**1152.53**

4.3.1.2 बायोलाजिकल पार्क निर्माण एवं आय का विवरण

वर्ष 2011–12 में एक नये बायोलाजिकल पार्क (माचिया बायोलाजिकल पार्क जोधपुर) का निर्माण तथा दो बायोलोजिकल पार्क (सज्जनगढ़ बायोलाजिकल पार्क उदयपुर एवं नाहरगढ़ बायोलाजिकल पार्क, जयपुर) के विकास कार्य भी प्रारम्भ किये गये। सज्जन बायोलोजिकल पार्क अप्रेल 2015, माचिया बायोलोजिकल पार्क जनवरी 2016 एवं नाहरगढ़ बायोलोजिक पार्क जून 2016 से प्रारम्भ हो गये हैं। इन बायोलोजिकल पार्कों से प्राप्त आय का विवरण निम्नानुसार है:

इसके अतिरिक्त अभेडा बायोलोजिकल पार्क, कोटा का निर्माण कार्य जो कि वर्ष 2017–18 में शुरू किया गया है, के मार्च 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।

क्र.सं.	पार्क का नाम	पर्यटकों की संख्या (लाखों में)		कुल आय (लाख रूपये में)	
		2015—16 से 2019—20	2020—21	2015—16 से 2019—20	2020—21
1.	नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर	17.319	0.761	757.974	43.417
2.	माचिया बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर	14.767	0.446	494.694	17.363
3.	सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर	14.693	0.400	469.077	14.072
कुल योग		**46.779**	**1.607**	**1721.745**	**74.852**

4.3.1.3 Physical Progress Item

Item	Unit	Project Target	Cumulative Achievement (up to 31.12.2020)
Package - 1 : Afforestation			
Plantation	Ha	83650	83676
Package - 2 : Agro Forestry			
Raising of Seedlings by SHGs	Nos	130	106
Trainings to SHGs	Nos	130	86
Package - 3 : Development of Water Conservation Structures (WCS)			
Anicut-I	Nos	600	600
Anicut-II	Nos	400	400
Check Dams	Cumt	200000	200000
Contour Bunding	Rmt	500000	500000
Percolation Tank	Nos	700	700
Renovation/restoration of TWHS	Nos	200	200
Silt Detention structure	Nos	300	300
Gabion Structures	Nos	500	500
Package - 4 : Biodiversity Conservation			
DLT Works	Ha	12000	12000
Development of water points	Nos	100	100
Biodiversity Closures	Ha	5000	5000
Abheda Biological Park, Kota			In Progress

Package - 5 : Proverty Alleviation and Income Generation Activities			
No of SHG Formed	Nos	1950	1957
Mobilization of SHG	Nos	1950	1637
Livlihood improvement Activities	Nos	1950	1173
Package - 6 : Capacity Building, Training and Research			
VFPMC training by NGO	Nos	1300	1291
NGOs training	Nos	6	7
Forest & Cattle Guards	Nos	54	64
Range Officers/ ACFs	Nos	6	6
DCFs and Equivalent	Nos	2	2
Project Personnel	Nos	6	6
VFPMC Members	Nos	12	12
Overseas Study Tours (I)	Nos	5	0
Overseas Study Tours (II)	Nos	6	0
Overseas Training of Officers	Nos	20	0
Research: Rohida and Khejri	Ha	200	115
Extension camps/Field Visits by DMUs	Nos	1400	1241
Training in GIS	Persons	200	1032
Package - 7 : Community Mobilisation			
VFPMC/EDC Formation & Strengthening	Nos	650	650
Microplanning	Nos	650	650
Entry Point Activities First Year	Nos	650	623
Second Year	Nos	650	642
Meeting Center for VFPMC	Nos	650	594
Awareness camp	Nos	650	608
Workshop and Seminars at DMU Level	Nos	135	112

4.3.1.4 Financial Progress FY. 2011-12 to Dec. 2020 ((Rs. In Lac)

S. No.	Name of Activities / Item	Allocation as per Project Cost	Ach. up to 2019-20	2020-21		Grand Total
				Budget Estimate	Ach. Up to Dec.2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	AFFORESTATION	42328	58428.80	780.10	528.80	58957.60
2	AGRO FORESTRY ACTIVITIES	163	79.73		0.80	80.53
3	WATER CONSERVATION STRUCTURES	4692	6247.49			6247.49
4	BIODIVERSITY CONSERVATION	8436	12840.70	150.00	4.96	12845.66

5	POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT	1689	809.92			809.92
6	CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH	634	265.79			265.79
7	COMMUNITY MOBILIZATION	6542	5347.35		3.18	5350.53
8	PROJECT MANAGEMENT	2982	2247.75	40.23	27.26	2275.01
9	MONITORING & EVALUATION	590	222.45		3.63	226.08
10	CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU	1496	1586.78	79.77	95.83	1682.61
	Total A	**69552**	**88076.76**	**1050.10**	**664.46**	88741.22
11	PRICE ESCALATION , PHYSICAL CONTINGENCY , CONSULTING SERVICES	18925				
	Total B	**88477**	**88076.76**	**1050.10**	**664.46**	88741.22
12	ADMINISTRATIVE COST, VAT & IMPORT TAX, INTEREST DURING CONSTRUCTION, COMMITMENT CHARGES	26776	22018.03	155.90	88.80	22106.83
	Grand Total	**115253**	**110094.79**	**1206.00**	**753.26**	**110848.05**

4.3.2 नाबार्ड वित्त पोषित वृक्षारोपण परियोजना

प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हरा–भरा बनाए जाने हेतु नाबार्ड आर.आई.डी. एफ. अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषण से राज्य के 17 जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, राजसंमद, सिरोही एवं उदयपुर) में तीन चरणों में वर्ष 2012–13 से वन विकास कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है, जिसमें वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं आम जनता के कीमतन वितरण, वन सुरक्षा प्रबंधन समितियों का गठन एवं सुदृढीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन कार्य आदि भी सम्मिलित हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी बढाने एवं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होने तथा वन क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता घटाने की दृष्टि से मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण वन क्षेत्र तथा गैर वन क्षेत्रों में भी कराया गया है।

4.3.2.1 नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों में वर्ष 2012 –13 से वर्ष 2019–20 तक 1,23,100 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा संधारण कार्य सहित मार्च, 2020 तक 66801.06 लाख तथा वित्तीय वर्ष 20–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 289.99 लाख व्यय किये जा चुके हैं। परियोजना के तीनों चरणों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2019–20 तक का संक्षिप्त विवरण निम्न अनुसार है।

क. सं.	परियोजना का चरण	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य प्रारम्भ वर्ष	वृक्षारोपण लक्ष्य (है.)	अर्जित वृक्षारोपण (है.)	कुल व्यय (लाखों में) (मार्च 2020 तक)
1	RIDF-XVIII Phase-I	33665.58	2012–13	52750	52750	29466.11
2	RIDF-XX Phase-II	28234.39	2014–15	43000	42950	23439.21
3	RIDF-XXII Phase-III	15761.24	2016–17	27400	27400	13895.74
योग				**123150**	**123100**	**66801.06**

4.3.2.2 नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना अन्तर्गत चतुर्थ चरण हेतु 21950 है0 वृक्षारोपण एवं जल व मृदा संरक्षण कार्यो की नई परियोजना नाबार्ड द्वारा पत्रांक राबै.जय/एसपीडी/2271/ आर.आई.डी. एफ.– XXVI (राजस्थान)/64th ISC/2020-21 दिनांक 24.09.2020 द्वारा राशि रू. 15087.50 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा भी अपने पूर्व पत्रांक प. 4 (1)वन/14 पार्ट जयपुर दिनांक 15.09.2020 द्वारा उक्त परियोजना पर प्रशासनिक सहमति/स्वीकृति प्रसारित की जा चुकी है।

उक्त परियोजना हेतु वर्ष 2020–21 के लिए नाबार्ड से स्वीकृत राशि रू. 2814.00 लाख ऋण एवं राज्य हिस्सा राशि रू. 189.78 लाख, इस प्रकार कुल राशि रू. 3003.78 लाख का अतिरिक्त बजट प्रावधान हेतु पत्रांक 1845 दिनांक 09.10.2020 द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये। जिसके विरूद्व राज्य सरकार के पत्रांक प. 4(1)वन/2014–पार्ट दिनांक 24.12.2020 द्वारा राशि रू. 2240.00 लाख का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जा चुका है।

4.3.3 राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (CAMPA)

राजस्थान में वन भूमि का वनेतर उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि के एवज में यूजर ऐजेन्सी से सीए. एनपीवी, एपीसीए लागू करने की

राशि वसूल करने की शर्त अधिरोपित की जा रही है, वन भूमि/वनों के क्षतिपूर्ति के लिए एकत्रित राशि से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास, प्रबन्धन किये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 को दिनांक 30.09.2018 से प्रभावशील किया गया है। इन अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण का गठन किया गया है।

4.3.3.1 राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के मुख्य बिन्दु

- राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के लोक लेखा अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि–राजस्थान'' जिसे ''राज्य निधि'' के नाम से जाना जायेगा, की स्थापना की जावेगी।
- यह राज्य निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी तथा इसका प्रबंधन राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। राज्य निधि में प्राप्त निधि राज्य के लोक लेखाओं के अधीन ब्याज वाली निधि होगी। राज्य निधि में अवशेष अव्यपगतीय होगा एवं जिस पर वर्षानुवर्ष आधार पर केन्द्रीय सरकार के द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज प्राप्त होगा।
- एडहॉक कैम्पा में जमा राशि में 90 प्रतिशत राशि राज्य निधि में स्थानान्तरित की जावेगी तथा 10 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण में जमा रहेगी।
- राज्य निधि में प्राप्त राशि का उपयोग वृभक्षारोपण, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास एवं वन एवं वन्यजीव के प्रबंधन में किया जावेगा।
- राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना तैयार कर संचालन समिति से अनुमोदन उपरान्त राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति से अनुमोदन के अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी।
- राज्य प्राधिकरण के प्रभावी संचालन के लिए एक गवर्निंग बॉडी रहेगी तथा इसके सहायता के लिए एक संचालन समिति एवं एक कार्यकारी समिति रहेगी।

4.3.3.2 राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की कियान्विति

- प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 10.08.2018 से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 जारी किये गये हैं। इन नियमों के तहत 80 प्रतिशत राशि वन तथा वन्य जीव प्रबंधन के लिये उपयोग में लायी जावेगी तथा 20 प्रतिशत राशि वन तथा वन्य जीव से संबंधित आधारभूत संरचनाओं के सुदृढीकरण के उपयोग में शामिल कार्मिकों की क्षमता निर्माण के लिये किया जावेगा। राज्य निधि से अंतरित ब्याज का 60 प्रतिशत रकम वन एवं वन्य जीव के संरक्षण और विकास के लिए व्यय किया जायेगा तथा ब्याज का 40 प्रतिशत राज्य प्राधिकरण के अनावर्ती और आवर्ती व्यय के लिए खर्च किया जावेगा।

- राजस्थान राज्य के लोक लेखा अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि–राजस्थान'' जिसे ''राज्य निधि'' के नाम से जाना जायेगा, की स्थापना की जा चुकी है ।
- राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि के लेखांकन हेतु वित्त विभाग द्वारा दिनांक 28.09.2018 को नवीन बजट मद खोल दिये गये हैं । केन्द्रीय सरकार ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के लिये दिनांक 20.11.2018 से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (लेखांकन प्रक्रिया) नियम, 2018 जारी किये हैं । जिसके अन्तर्गत मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप शीर्ष खोले जा चुके हैं ।
- वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा राशि रू. 1748.25 करोड राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण को दिनांक 29 अगस्त 2019 को स्थानांतरित की गई है ।
- वर्ष 2020–21 की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वित्त विभाग राजस्थान से राशि की मांग किये जाने पर उनके द्वारा माह दिसम्बर 2020 तक राशि रू. 100.00 करोड आवंटित किये गये थे, जिसके विरूद्व माह दिसम्बर 2020 तक राशि रू. 62.12 करोड का व्यय हो चुका है ।

4.3.3.3 स्टेट कैम्पा में गत तीन वर्षों में प्राप्त राशि एवं व्यय राशि का विवरण

वित्तीय वर्ष	दिनांक रिलीज	राशि लाखों में	किया गया व्यय	विशेष विवरण
2017-18	12.07.2017	9400.00	17559.13	
	28.03.2018	8500.00		
2018-19	31.8.2018	16924.00	13282.25	
2019-20	-	-	3649.37	व्यय बैंक में रही शेष राशि में से
	Recd. From Rajasthan Govt.	10000.00	8009.62	व्यय कोषालय के माध्यम से
2020-21 (up to Dec. 2020)	-	-	479.30	व्यय बैंक में रही शेष राशि में से
	Recd. From Rajasthan Govt.	10000.00	6212.32	व्यय कोषालय के माध्यम से
	Total	**54824.00**	**49190.99**	

4.3.3.4 राजस्थान स्टेट कैम्पा में वर्ष 2017–18 से 2020–21 (31.12.2020 तक) की प्रगति

नाम कार्य	उपलब्धि			
	2017–18	2018–19	2019–20	13.12.2020 में माह दिसम्बर तक
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष (पौधारोपण) NFL	1150.80 Ha.	696.88 Ha.	747.75 Ha.	1054.00 Ha
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष (पौधारोपण) DFL	3956.00 Ha.	1909.68 Ha.	1862.84 Ha	1093.83 Ha.
परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग प्रथम वर्ष (पौधारोपण) ANR	2350.00 Ha.	5927.00 Ha.	6000.00 Ha.	9950.00 Ha
पक्की दीवार का निर्माण 4/6 फीट ऊंचाई	121005.50 Rmt	141654.72 Rmt.	141745.50 Rmt	2950 Rmt.
वन भूमि पर सीमा स्तम्भों का निर्माण	1038 No.	6436 No.	6620 No.	350 No.
एनीकट/गजलर/जल संरक्षण संरचानाओं का निर्माण	-	33 No.	81	-
अधीनस्थ वनकर्मियों हेतु वन चौकियों का निर्माण	15 No.	26 No.	25	-
रेंज ऑफिस सह निवास का निर्माण	3 No.	7 No.	7	-
रेक्स्यू सेन्टर	17 No.	1 No.	-	-
वन सुरक्षा कार्यो हेतु वाहन (केन्टर/बोलेरो) खरीद	-	20 No. (Bolero)	-	-
मोटर साईकिल खरीद	107 No.	159 No.	-	-
पैन्थर कन्जरवेशन रिजर्व	300.00 Lac (Jhalana Jaipur)	441.02 Lac (Jhalana Jaipur)	20.00 Lac (Jhalana Jaipur)	7.82 Lac (Jhalana Jaipur)
Project Leopard (works including Strengthening aprey base, construction of water holes, Shelter habitat development, Eco restoration wall Avoiding man-Animal conflict etc.)Kumbhalgarh & Raoli Todgarh Sanctuary	-	-	56.241 Lac Rs	24.648 Lac Rs
conservation of Bansial Khetari Conservation reserve Jhunjunu asper project	228.55 Lac Rs	149.38 Lac Rs	69.92 Lac Rs	3.94 Lac Rs
conservation of Bansial Khetari - Bagour Conservation reserve Jhunjunu asper project	-	119.63 Lac Rs	82.63 Lac Rs	7.88 Lac Rs

Voluntary Relocation of Villages in Tiger Reserves (WLS &NP) including compleation of relocation work in Mukundara Nation Park	-	-	230.75 Lac Rs	147.50 Lac Rs
Conservation of Lesser Florican Conservation Reserve Sarwar, Ajmer	-	-	56.34 Lac Rs	-
Promation of Natural regeneration through avoided deforestaion (gas distrubution to forest department communities)	1986.05 Lac Rs	852.49 Lac	-	-

मिटिगेटिव मैजर्स के तहत् वर्ष 2019–20 तक कुल राशि रू. 2580.97 लाख एडहॉक कैम्पा से प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध वर्ष 2019–20 तक राशि रू. 1792.05 लाख व्यय किये गए तथा वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक राशि रू. 206.47 लाख व्यय की जा चुकी है। उक्त योजनान्तर्गत 2.5 मीटर ऊँची 7.005 कि.मी.दीवार का निर्माण तथा 1.5 मीटर ऊँची 49.814 कि.मी. दीवार का निर्माण तथा 240 है0 में वृक्षारोपण कराया गया है। महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान योजना के अन्तर्गत जयपुर, अजमेर, उदयपुर एवं कोटा जिले में कैम्पा मद की राशि का उपयोग कर नगर वन स्थापित किये गये हैं। वर्ष 2019–20 तक कुल राशि रू. 404.80 लाख के आवंटन के विरूद्ध राशि रू. 359.29871 लाख व्यय किये गए तथा वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक राशि रू. 16.89381 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.4 पर्यावरण वानिकी

आम जन को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से क्रियान्विति की जा रही इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में रू. 285 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2020 तक राशि रू. 86.56 लाख व्यय किये जा चुके हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	गतिविधि का विवरण	वर्ष 2020–21 में स्वीकृत प्रावधान राशि (रू. लाखो में)	दिसम्बर, 2020 तक व्यय राशि (रू. लाखो में)
1	पर्यावरण वृक्षारोपण	230.00	53.31
2	नेचर पार्क चुरू	15.00	15.00
3	अशोक विहार जयपुर का विकास	10.00	8.80
4	स्मृति वन जयपुर का संधारण	10.00	6.18
5	खेजडली शहीद स्मारक का निर्माण	10.00	0.00
6	गोरधन परिक्रमा मार्ग पर वृक्षारोपण	5.00	1.44
7	हर्बल गार्डन, अजमेर संधारण	5.00	1.83
	योग	**285.00**	**86.56**

4.3.5 परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण

इस योजना के अन्तर्गत परिभ्रांषित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जल तथा मृदा संरक्षण के कार्य करवाये जा रहे हैं। इस वर्ष 3000 है0 वन क्षेत्र में अग्रिम कार्य करवाया जा रहा है एवं 3800 है0 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में रू. 2608.78 लाख व्यय किये जाने का प्रावधान है, जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2020 तक 880.58 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.6 जलवायु परिवर्तन एवं मरू प्रसार रोक

वातावरण में आ रहे बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण मरू प्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरूस्थलीय जिलों में मुख्यतया टिब्बा स्थिरीकरण के कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2020–21 में 2900 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाया जा रहा है तथा 4100 है0 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन कार्यो पर इस वित्तीय वर्ष में रू. 3676.86 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2020 तक 1417.86 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.7 भाखड़ा व गंगनहर वृक्षारोपण

प्रदेश के थार मरूस्थल को हरा–भरा बनाने एवं आम जनता को बार–बार पडने वाले अकाल से राहत दिलने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की जिसे गंग नहर कहा गया। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। इसी प्रकार भाखडा नहर, भाखडा नांगल बांध से निकलकर आती है। जिससे हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 920000 एकड भू–भाग की सिंचाई होती है। इन दोनो नहरों के किनारों के वृक्षारोपण के 2.2 लाख वृक्षों के परिपक्व होने

के कारण उनका विदोहन विभाग द्वारा कर लिया गया था। अतः नहरों को मिट्‌टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिए पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। भाखडा नहर का वृक्षारोपण कार्य वन मण्डल हनुमानगढ व गंगनहर वृक्षारोपण का कार्य वन मण्डल गंगानगर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। भाखडा एवं गंगनहर के दोनों ओर इस वर्ष रू. 675.69 लाख व्यय किए जाकर 716.49 रो0 कि.मी. (238.83 हैक्टेयर) वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना है। माह दिसम्बर, 2020 तक रू 238.70 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

भाखडा नहर वृक्षारोपण की प्रगति

क.सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख रू.)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	**उपलब्धि**	
1.	2016—17	360.76	167.95	650 आर.के.एम. (216 है0)
2.	2017—18	355.65	320.5	318 आर.के.एम. (106 है0)
3.	2018—19	350.00	344.90	900.48आर.के.एम. (300.16 है0)
4.	2019—20	589.70	493.52	1140 आर.के.एम. (380 है0)
5.	2020—21(दिसम्बर, 2020 तक)	522.18	171.04	495.99 आर.के.एम.(165.33 है0)

गंगनहर वृक्षारोपण की प्रगति

क. सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख रू.)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2016—17	315.89	228.71	385 आर.के.एम. (128 है0)
2.	2017—18	274.50	274.35	237 आर.के.एम. (79 है0)
3.	2018—19	199.24	194.90	172.83 आर.के.एम. (57.61 है0)
4.	2019—20	153.51	118.85	125 आर.के.एम. (41.67 है0)
5.	2020—21(दिसम्बर, 2020 तक)	153.51	67.66	220.50 आर.के.एम. (73.50 है0)

4.3.8 पौध वितरण

राजस्थान वन नीति, 2010 के अनुसार वनीकरण को बढावा देने तथा वृक्षारोपण में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वानिकी के तहत तैयार किये गये कांटेदार एवं चौडी पत्ती वाले 2 फीट उंचाई तक के पौधे रू. 5 प्रति पौधा की दर से जन साधारण को वितरित किये जाते हैं। राजकीय विभागों शैक्षणिक संस्थानों, भारतीय स्कॉउट एवं गाइड, एन.सी.सी. एवं स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों द्वारा यदि बडे पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है, तो विभाग के अधिकारियों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन दिया जावेगा एवम् पौधों की आवश्यकता का आंकलन कर एक रू. प्रति पौधे की दर से 1000 पौधे तक उपलब्ध करवाये जायेंगे परन्तु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह आंकलन किये जाने का प्रावधान है कि वृक्षारोपण कराने वाले के पास वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि एवं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।

आम जनता एवं कृषकों को वितरण हेतु पौधे तैयार करने का कार्य फार्म फोरेस्ट्री (प्लान), आर.एफ.बी.पी. फेज— I रिवोल्विंग फंड (नोन प्लान) एवं नाबार्ड (प्लान) परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत 2019—20 में वितरित पौधे, वर्ष 2020—21 में दिसम्बर, 2020 तक वितरित पौधे एवं

वर्ष 2021–22 में आगामी वर्षा ऋतु में वितरण हेतु तैयार किये जाने वाले पौधों का वितरण निम्नानुसार है:

नाम योजना	वर्ष 2019–20 में वितरित पौधे (लाखों में)	वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर तक वितरित पौधे (लाखों में)	आगामी वर्षा ऋतु में वितरण हेतु इस वर्ष तैयार किये जाने वाले पौधों का लक्ष्य (लाखों में)	
			भौतिक	वित्तिय (रूपये)
फार्म फोरेस्ट्री	40.49	29.20	40.00	261.40
RFBP Ph. I (रिवोल्विंग फंड)	21.70	30.52	35.45	167.32
नाबार्ड परियोजना	5.82	4.44	0	0
योग	**68.01**	**64.16**	**75.45**	**428.72**

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बजट घोषणा अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 25 लाख बडे पौधों की तैयारी की गई है एवं इस वर्ष भी 5.00 लाख बडे पौधे तैयार किये जा रहे हैं, जिसके लिये पृथक से रू. 478.41 लाख का प्रावधान रखा गया है। ये पौधे वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 मे वितरण हेतु उपलब्ध होगें।

4.3.9 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं। राज्य में 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत हैं। 9 जुलाई, 2010 से राज्य में राज्यस्तरीय ''राज्य वन विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। यह अभिकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। वर्ष 2019–20 में केन्द्र सरकार द्वारा राशि 195.25 लाख की पुनः सत्यापित प्राप्त (रिवेलिडेट रिलीज) हुई है। जिसके अन्तर्गत 1200 हैक्टेयर वृक्षारोपण कार्य तथा पूर्व के वर्षों के संधारण कार्य करवाये गये हैं। वर्ष 2020–21 हेतु राशि रूपये 230 लाख की वार्षिक कार्य योजना (ए.पी.ओ.) भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

4.3.10 साझा वन प्रबंध की सुदृढ़ीकरण योजना

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों एवं वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए राज्यादेशों दिनांक 17.10.2000 एवं दिनांक 24.10.2002 के अनुरूप क्रियान्विति की जा रही है। उक्त आदेशों के क्रम में वर्तमान में राज्य में लगभग 6022 समितियां (ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति एवं ईको डवलपमेंट कमेठी) गठित हैं। इन ग्राम वन प्रबन्ध सुरक्षा समितियों के सुदृढीकरण के लिए चालू वर्ष में 10.00 लाख रू. व्यय का प्रावधान है।

4.3.11 नर्मदा नहर परियोजना

नर्मदा मुख्य नहर राज्य में जालौर जिले की सांचौर तहसील के सीलू गांव में प्रवेश करती है, इसमें मार्च, 2008 से जल प्रवाह प्रारम्भ हो गया है। नर्मदा मुख्य नहर एवं इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों के किनारे

वृक्षारोपण की परियोजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसका 65 किमी (0 to 51.5RD, 58.8 to 68.3 RD, 70 to 74 RD) का हिस्सा जालौर जिले में है व शेष 9 किमी (51.5 to 58.8 RD, 68.3 to 70) बाडमेर में है। इस परियोजना अन्तर्गत विभाग द्वारा 31.03.2020 तक कुल राशि रू. 2825.13 लाख व्यय की गई है।

4.3.12 विदोहन एवं पुनः वृक्षारोपण (योजना भिन्न के अन्तर्गत)

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में अब तक लगभग 145000 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये गये हैं। नहर के किनारे एवं आबादी वृक्षारोपण क्षेत्रों से लगभग 24000 है0 क्षेत्रफल में वृक्षारोपण विदोहन हेतु 10 वर्ष की कार्य योजना वर्ष 1999–2000 से 2008–09 एवं द्वितीय कार्य योजना वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक स्वीकृत है। वृक्षारोपणों का विदोहन वर्ष 2000 से शुरू किया गया। पुराने वृक्षारोपणों का विदोहन कार्य विभाग की विभागीय कार्य ईकाई द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है। विदोहन किये क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण में मुख्यतया शीशम देशी बबूल सफेदा, अरडू, खेजडी, झींझा के पौधे लगाये गये हैं। वर्ष 2017–18 से माह दिसम्बर, 2020 की अवधि में किये गये पुनः वृक्षारोपण कार्यो का विवरण निम्नानुसार हैः

क.सं.	वर्ष	पुनः वृक्षारोपण क्षेत्र (है0 में)
1	2017–18	597.80
2	2018–19	1028.26
3	2019–20	541.00
4	2020–21 (दिसम्बर, 2020)	427.48

4.3.13 अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

वन अनुसंधान को और गति प्रदान करने की दृष्टि से यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2020–21 में वानिकी क्षेत्र में वन्यजीव तथा वानिकी इंटर्न्स पर राशि रू. 12.55 लाख, काष्ठ आधारित उद्योगों की लकडी आवश्यकताओं के अध्ययन पर राशि रू. 10 लाख, वानिकी प्रशिक्षण पर राशि रूपये 25.00 लाख तथा वानिकी अनुसंधान कार्यों पर राशि रूपये 25.00 लाख अर्थात कुल राशि रू. 72.55 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यो पर माह दिसम्बर, 2020 तक 32.97 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

❑❑❑

अध्याय – 5

मृदा एवं जल संरक्षण

5.1 बाढ़ सम्भावित नदी परियाजनायें

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना संचालित की जा रही है। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत बनास व लूणी नदी परियोजनाएं एवं नम भूमि संरक्षण परियोजनान्तर्गत सांभर नम भूमि उपचार योजना के अभियांत्रिकी कार्य मुख्य वन संरक्षक, बाढ़ संभावित नदी परियोजना, जयपुर के नियंत्रण में करवाये जा रहे हैं तथा इनके अधीन कार्यालय भू संरक्षण अधिकारी (वानिकी) टोंक, वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी, बनास नदी परियोजना, भीलवाड़ा, भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि) बनास नदी परियोजना, सवाईमाधोपुर, भू–संरक्षण अधिकारी, (कृषि), लूणी नदी परियोजना, सोजत रोड (पाली) में कार्यरत हैं।उक्त परियोजनाओं के तहत मुख्यतः बनास, लूणी व इनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा व जल संरक्षण हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य करवाये जा रहे हैं। मृदा व जल संरक्षण कार्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर करवाये जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्गमित नालों का उपचार (Drainage Line Treatment) भी किया जा रहा है।

इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य :– जलग्रहण क्षेत्र में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपन (Degradation) को रोकने, जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने (Water holding capacity) तथा आर्द्रता की प्रवृत्ति को सुधारना, अनुकूल भू उपयोग (Appropriate land use) प्रोत्साहित करना, जलप्रवाह तथा अधिकतम जल प्रवाह आयतन कम करना, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंध में जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना है।

बाढ़ संभावित बनास व लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 (31.12.2020) तक आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार रही है:

एफपीआर बनास व लूणी परियोजना				
वित्तीय वर्ष	उप जलग्रहण क्षेत्र की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)
वर्ष 2017–18	34	12674	1730	1839.05
वर्ष 2018–19	38	4570	697	813.24
वर्ष 2019–20	38	5367	731	803.57
वर्ष 2020–21	35	4313	374	569.67

5.2 नदी घाटी परियोजनाऐं

सिंचाई, विद्युत एवं पीने के पानी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया है। बांधों की उपयोगिता अधिकतम समय तक बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जलाशयों में मिट्टी की आवक को न्यूनतम रखा जावे। बांधों के निर्माण के पश्चात् सामान्यतया साद उत्पादन दर (Sediment Production Rate) अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जलाशयों की भराव क्षमता तीव्र गति से कम होती जाती है। साद उत्पादन दर को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान् केन्द्र प्रवर्तित नदी घाटी परियोजना अर्न्तगत जल ग्रहण क्षेत्रों में भू–संरक्षण परियोजना प्रारम्भ की गई। राजस्थान में चम्बल, माही, दांतीवाडा एवं साबरमती नदी घाटी परियोजनायें क्रमशः वर्ष 1962,1969,1970 एवं 2003 से प्रारम्भ की गई हैं। चम्बल नदी पर निर्मित गांधीसागर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध, माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर एवं कडाना बांध, वेस्ट बनास पर निर्मित दांतीवाडा बांध एवं साबरमती नदी पर साबरमती बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्तमान में भू–संरक्षण परियोजना संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 (31.12.2020) में आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार हैः

वित्तीय वर्ष	चम्बल			माही			दांतीवाडा एवं साबरमती		
	भौतिक (हेक्टेयर में)	संरचनाओं की संख्या	वित्तीय (लाख रू. में)	भौतिक (हेक्टेयर में)	संरचनाओं की संख्या	वित्तीय (लाख रू. में)	भौतिक (हेक्टेयर में)	संरचनाओं की संख्या	वित्तीय (लाख रू. में)
2017–18	3568	368	349.90	2275	543	219.32	2416	969	513.11
2018–19	373	48	144.94	970	34	99.99	553	1309	191.77
2019–20	1113	108	150.06	1450	621	189.09	1725	249	166.78
2020–21	596	33	65.49	240	406	104.51	925	0	72.49

5.3 साद अध्ययन

वर्ष 2020–21 वर्षाकाल में भारत सरकार की दिशा निर्देशिका (Operationl Guide Line 2008) अनुसार निम्नानुसार उपजलग्रहण क्षेत्रों में साद अध्ययन कार्य करवाया गया :

क0सं0	परियोजना	साद स्थलों की संख्या
1	चम्बल	1
2	माही	1
3	साबरमती	1

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र (I.M.D.) पूना से अनुबंधित दो मौसम वैधशालाऐं जो क्रमशः चम्बल परियोजना अंतर्गत चारभुजा (रावतभाटा) में एवं माही परियोजना अंतर्गत प्रतापगढ में स्थापित की हुई है, जिनमें मौसम सम्बन्धी आंकड़े (Rainfall,Temperature, Humidity,Vapour pressure, Wind velocity, Wind Direction, Sun shine hours,Weather report & Soil temperature etc.) संकलित कर पीरियड़ अनुसार I.M.D. पूना केन्द्र को भिजवाये गये।

❑❑❑

अध्याय – 6
मूल्यांकन एवं प्रबोधन

वन विकास के कार्यो में मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से विभाग में राज्य स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ गठित किया है जो अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के नेतृत्व में कार्य करता है। यह प्रकोष्ठ राजस्थान में वृहद स्तर पर करवाये जा रहे वानिकी विकास कार्यो की मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सतत् मूल्यांकन करता रहता है।

उक्त कार्य हेतु राज्य के सभी संभागो में उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन के नेतृत्व में मूल्यांकन इकाईयां कार्यरत है जो उपलब्ध मानव एवं बजट संसाधनों के अनुसार कार्य करती हैं। ये इकाईयों वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, राजस्थान/अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा उनके निर्देशानुसार कार्य करती हैं।

इन इकाईयों को समय–समय पर मुख्यालय से आदेश प्रसारित कर विभिन्न वन मण्डलों के चयनित कार्यो एवं अन्य कार्यो के मूल्यांकन हेतु निर्देश दिये जाते हैं। ये इकाईयां मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता बनाये रखते हुए कार्य करती हैं एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई) को प्रेषित करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा समवर्ती मूल्यांकन हेतु समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन परिपत्रों/आदेशों के अनुसार ही मूल्यांकन ईकाईयों द्वारा मूल्यांकन कार्य कर मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं।

6.1 मूल्यांकन ईकाईयों के कार्य

संभाग स्तर पर कार्यरत मूल्यांकन इकाइयों द्वारा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम एण्ड ई द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप चयनित कार्य स्थलों का शत प्रतिशत या सैंपलिंग पद्धति से मूल्यांकन कार्य किया जाता है। मूल्यांकन के दौरान इकाई द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निम्न कार्यो पर विशेष ध्यान दिया जाता है–

- कार्यस्थल से संबंधित क्षेत्र का माईक्रोप्लान।
- कार्यस्थल की उपचार योजना।
- कार्यस्थल का मानचित्र मय मृदा मानचित्र।
- कार्यस्थल का चयन मॉडल के अनुरूप किया गया हो।
- कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन।
- बाडबंदी की प्रभावितता।
- वृक्षारोपण हेतु करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से।

- वृक्षारोपण हेतु पौधों की सुनिश्चिता हेतु नर्सरी व्यवस्था।
- किये गये वृक्षारोपण की तकनीक।
- वृक्षारोपण में लगाये गये पौधों की प्रजाति का चयन।
- वृक्षारोपण पश्चात करवाये जाने वाले विभिन्न संधारण कार्यो, सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस की स्थिति।
- पौधों के विकास की स्थिति।
- पौधारोपण की सुरक्षा एवं संधारण की स्थिति।
- पौधारोपण स्थल से संबंधित समस्त रिकार्ड के संधारण की स्थिति।
- वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यो आदि में सक्रियता की स्थिति आदि।

मूल्यांकन के उपरांत मूल्यांकन इकाई द्वारा मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत चर्चा संबंधित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा कार्यस्थल प्रभारी से की जाती है। वृक्षारोपण में पाई गई विभिन्न कमियों तथा सुधार के संबंध में मूल्यांकन इकाई अपना प्रतिवेदन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम. एण्ड ई. को प्रस्तुत करती है।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम. एण्ड. ई. राजस्थान के स्तर पर इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर वृक्षारोपण के संबंध में सुधारात्मक सुझाव एवं सुधार हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु संभागीय स्तर पर पदस्थापित मुख्य वन संरक्षक को आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

6.2 संभाग पर कार्यरत मूल्यांकन दलों द्वारा संपादित मूल्यांकन कार्य

6.2.1 वर्ष 2017–18

क.सं.	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साईट्स की संख्या				योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	
1	अजमेर	0	8	17	0	**25**
2	बीकानेर	1	15	19	6	**41**
3	भरतपुर	3	2	5	0	**10**
4	जयपुर	8	12	13	2	**35**
5	जोधपुर	0	4	25	4	**33**
6	कोटा	1	13	5	0	**19**
7	उदयपुर	23	19	5	0	**47**
	योग	**36**	**73**	**89**	**12**	**210**

6.2.2 वर्ष 2018–19

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					अग्रिम कार्यों की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम.जे.एस. ए. फेज–II	योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	अजमेर	2	23	8	1	34	0	0	**34**
2	बीकानेर	0	12	7	6	25	0	0	**25**
3	भरतपुर	0	10	3	0	13	4	62	**79**
4	जयपुर	6	10	9	16	41	4	4	**49**
5	जोधपुर	0	5	9	1	15	0	5	**20**
6	कोटा	0	15	0	0	15	10	13	**38**
7	उदयपुर	0	11	5	0	16	0	0	**16**
	योग	**8**	**86**	**41**	**24**	**159**	**18**	**84**	**261**

6.2.3 वर्ष 2019–20

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					अग्रिम कार्यों की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम.जे.एस. ए. फेज–II	योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	अजमेर	1	20	17	15	53	0	0	**53**
2	बीकानेर	7	34	37	20	98	0	7	**105**
3	भरतपुर	3	16	7	1	27	0	10	**37**
4	जयपुर	0	16	24	19	59	0	0	**59**
5	जोधपुर	0	18	40	47	105	0	0	**105**
6	कोटा*	2	2	11	1	16	0	0	**16**
7	उदयपुर	0	28	37	24	89	0	0	**89**
	योग	**13**	**134**	**173**	**127**	**447**	**0**	**17**	**464**

*वर्तमान में मूल्यांकन कार्य प्रगतिरत है। 48 साईटों का मूल्यांकन शेष है।

6.2.4 वर्ष 2020–21

मूल्यांकन कार्य की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

6.3 स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा विभागीय कार्यों का मूल्यांकन

वर्ष 2016–17 में कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (आफरी) के माध्यम से करवाया गया है। माह जनवरी 2019 में आफरी द्वारा मूल्यांकन की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। CAMPA के अंतर्गत करवाये गये वभक्षारोपणों में औसत जीवितता 49.37 प्रतिशत पायी गई, जिसमें <10%, 10–20%, व 20–30% जीवितता प्रतिशत के 5 वृक्षारोपण प्रत्येक कैटेगिरी में पाये गये। 30–40 प्रतिशत जीवितता की 12 साईटस थीं। 50 % से कम जीवितता की 35.8% साईटस, 50–70 % तथा 70–95% जीवितता की 17.9 % साईटस् पायी गई। मॉडल वाइज ANR, NFL व DFL श्रेणी की औसत जीवितता क्रमशः 45.47 %, 60.37 % तथा 49.2 % पायी गई।

इसी अवधि में 156 assets का भी सत्यापन किया गया, जिसमें 19 Anicut type II, 18 Anicut type III, 5 आरबोरेटम, 25 साइट्स बाउन्ड्री पिलर्स, 39 पक्की दीवार साईटस (1 साईट 12'उचांई, 25 साईटस् 4'उचांई व 13 साईटस् 6'उचांई), 29 वन चौकी, 14 रेंज फॉरेस्ट ऑफिस व 7 रेस्क्यू सेंटर्स का सत्यापन किया गया।

वर्ष 2018–19 में नाबार्ड वित्त पोषित (Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF—XVIII, Phase-I, 2013-14 to 2015-16) के अंतर्गत करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन "सेन्टर फोर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीस, (C-DECS), जयपुर" से करवाया जा रहा है। उक्त संस्था द्वारा 17 वन मण्डलो का मूल्यांकन कार्य किया गया है। सेन्टर फोर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीस, (C-DECS) जयपुर द्वारा नाबार्ड फेज–I परियोजनान्तर्गत करवाये गये वानिकी विकास कार्यो के तृतीय पक्ष मूल्यांकन पूरा कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक करवाये गये वृक्षारोपणों में जीवितता प्रतिशत 20% से कम 5 वृक्षारोपण, 21–40% के मध्य 5 वृक्षारोपण, 41–60 % के मध्य 107 वृक्षारोपण व 61 –80 % के मध्य 8 वृक्षारोपण पाये गये।

इसके अतिरिक्त उक्त 3 वर्षो में करवाये गये मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो में 3010 है0 कन्टूर बंडिंग, 132 LSCD, 65 फार्म पॉन्डस, 44 गैबियन स्ट्रक्चर, 36 PCT/Nadi 36 WHS, 24 Anicut type II, 17 Anicut type-III, 11 Earthen Checkdams भी चैक किये गये। इसमें से 99.6% रिकॉर्ड व साईट के अनुसार सही पाये गये। 83% संरचनाएं Functional पायी गयी।

6.4 तृतीय पक्ष मूल्यांकन (कैम्पा) वर्ष 2020–21

कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2014–15 से वर्ष 2016–17 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो (Assets) का तृतीय पक्ष मूल्यांकन वर्ष 2020–21 में कराया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए टेण्डर प्रक्रिया प्रगतिरत है।

❑❑❑

अध्याय – 7
वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

7.1 सक्षिप्त विवरण

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश–विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 अभयारण्य एवं 14 कन्जर्वेशन रिजर्व स्थित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3 टाईगर रिजर्व भी हैं। सभी संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 11782.55 वर्ग कि.मी. है।

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यतः अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित हैं, जिन पर आसपास में विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस जैविक दबाव के कारण वन्य जीव प्रबंधकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर प्रतिस्पर्धा की स्थितियां भी पैदा होती हैं। इस तनाव एवं प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास हो सके। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन्य जीव क्षेत्रों में ढांचागत विकास, हैबीटाट सुधार, जल संसाधनों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

7.2 वन्य जीव प्रभाग द्वारा संपादित महत्वपूर्ण गतिविधियां

राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों एवं टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में वन्य जीव प्रबन्धन के लिए वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना, स्टेट कैम्पा, नाबार्ड, आर.एफ.बी.पी–2, राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसायटी, आदि में स्वीकृत प्रावधानों से भी वन्य जीव संरक्षण कार्य करवाये जा रहे हैं। रणथम्भौर एवं सरिस्का बाघ परियोजना संरक्षण फाउण्डेशन में जमा राशि से अतिरिक्त विकास कार्य कराये जाते हैं।

अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं टाईगर रिजर्व की वार्षिक कार्य योजनाएं प्रतिवर्ष तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती हैं। अभयारण्यों में मुख्यतः सुरक्षा, ढांचागत विकास, आवास स्थलों का

विकास, जल प्रबंधन, ईको–डवलपमेंट गतिविधियां एवं प्रसार व प्रचार के कार्य किये जाते हैं।

राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित हैं, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित ''कॉन्सेप्ट प्लान'' के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, एवं जयपुर में स्थित जन्तुआलयों के सैटेलाइट केन्द्र क्रमशः माचिया जैविक उद्यान, सज्जनगढ जैविक उद्यान एवं नाहरगढ जैविक उद्यान विकसित किए गये हैं। कोटा में अभेड़ा जैविक उद्यान व बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान विकसित किये जा रहे हैं।
वन्यजीव अपराधों के नियंत्रण एवं अनुसंधान के लिये वन्यजीव अपराध नियन्त्रण ब्यूरो द्वारा जारी एडवाईजरी एवं राज्य वन नीति 2010 के अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 6 (24)/एआर–3/2020 दिनांक 17.07.2020 के द्वारा एक हाई लेवल इन्टर ऐजेन्सी कोर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है।

7.3 वर्ष 2020–21 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां

7.3.1 ''इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबिटाट्स''

भारत सरकार द्वारा इस योजना का फंडिंग पैटर्न वर्ष 2015–16 से परिवर्तित कर 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र का एवं 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य का किया गया है। वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 32 संरक्षित क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना अन्तर्गत कुल रुपये 2101.77 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। इसी प्रकार राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव अभयारण्य हेतु राशि 157.65 लाख व ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम हेतु राशि 216.30 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हैबिटाट डेवलपमेंट, वाटर पॉईन्टस, फायर लाईन्स दीवार निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जा रहे हैं।

7.3.2 रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व

- राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्त पोषित केन्द्र प्रवर्तित योजना "Project Tiger'' के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में केन्द्र सरकार द्वारा इस मद में रुपये 2746.18 लाख (RTR Rs. 910.55+STR Rs. 1129.82+ MHTR Rs. 705.81) का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।
- रणथम्भौर हेतु स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कर 66 पुलिस कर्मियों (1 निरीक्षक तथा 65 कांस्टेबल) को सुरक्षा कार्यों पर लगा दिया गया है। सरिस्का व मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में STPF में भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।
- बाघ परियोजना रणथम्भौर, मुकन्दरा एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार होम गार्ड्स की तैनाती की जाती है।

- बाघ परियोजना रणथम्भौर में वर्तमान में 50 बाघ एवं 19 शावक हैं।
- बाघ परियोजना, सरिस्का में रणथम्भौर से बाघों के ट्रांसलोकेशन के पश्चात इनकी निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। सरिस्का में वर्तमान में 16 बाघ एवं 6 शावक हैं।
- मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में एक बाघ विचरण कर रहा है।
- प्रदेश की बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में स्वैच्छिक विस्थापन कार्य को गति प्रदान की गई है। सरिस्का बाघ परियोजना से दिनांक 01.04.2020 से 30.12.2020 तक 28 परिवारों का विस्थापन किया गया है। मुकन्दरा हिल्स बाघ परियोजना के कोर क्षेत्र के अन्तर्गत बसे ग्राम घाटी जागीर से वर्ष 2020–21 में 19 व लक्ष्मीपुरा से 5 परिवारों को अन्यत्र विस्थापित किया गया है। मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में कुल 16 ग्राम स्थित है, जिसमें 14 ग्रामों को विस्थापित किया जायेगा।
- राज्य में स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रमों एवं बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा इनके प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने हेतु बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य सभी ''स्टेक होल्डर्स'' की भागीदारी के माध्यम से बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना है।
- संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटको के लिए ऑन लाईन बुकिंग, तत्काल बुकिंग सेवायें, आधा व पूरा दिन भ्रमण आदि व्यवस्थायें की गई हैं।
- बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुये इनके लिये नये क्षेत्र विकसित करने हेतु एक रणनीति पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसकी क्रियान्विति की जा रही है। रामगढ़ विषधारी व कुम्भलगढ़ में बाघों के पुर्नस्थापन की योजना विचाराधीन है।

7.3.3 प्रोजेक्ट बस्टर्ड

राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ''प्रोजेक्ट बस्टर्ड'' के अन्तर्गत क्लोजर का निर्माण किया जाकर आश्रय स्थलों को विकसित किया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि इसके परिणामस्वरूप गोडावण का प्रजनन हुआ है। राज्य सरकार, भारत सरकार व भारतीय वन्यजीव संस्थान के मध्य हुये करार के अनुसार गोडावण के संरक्षण हेतु एक ''केप्टिव ब्रीडिंग सेन्टर'' की स्थापना बारां के सोरसन क्षेत्र में एवं इसका सेटेलाईट फेसिलिटी जैसलमेर में की जायेगी। वर्तमान में सम चौकी पर एक अस्थाई व्यवस्था कर गोडावण के 16 चूजों का कृत्रिम प्रजनन कर उनका पालन पोषण किया जा रहा है। इसी करार के तहत खरमोर के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राज्य सरकार के मध्य त्रिपक्षीय करार कर कृत्रिम प्रजनन हेतु अजमेर जिले के सथाना गांव में अस्थाई कृत्रिम प्रजनन केन्द्र बनाया गया है। जहां पर एक खरमोर के 02 अण्डे खेतों से उठाकर प्रजनन केन्द्र पर सफलतापूवर्क Hatch करवाया गया, 02 चूजें विकसित हुए है।

7.3.4 कन्जर्वेशन रिजर्व

प्रदेश में 14 कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ठ के रूप में पृथक से संलग्न किया गया है।

7.3.5 प्रोजेक्ट लेपर्ड

राज्य में पेन्थर की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके कारण इनका प्रबंधन आवश्यक है। पैंथर संरक्षण के लिये एक योजना ''प्रोजेक्ट लैपर्ड'' तैयार कर स्वीकृत की गई है। यह योजना झालाना जयपुर में क्रियान्वित की जा रही है। झालाना क्षेत्र में लेपर्ड सफारी प्रारम्भ की गई जहां पर्यटकों का आगमन हुआ है। इस वर्ष राज्य योजना के तहत बस्सी, आबू पर्वत, जयसमन्द आदि में इसका कार्य कराया जा रहा है। शेरगढ़, खेतड़ी, कुम्भलगढ़ आदि क्षेत्रों में कैम्पा मद में प्रोजेक्ट लैपर्ड के समान गतिविधियां कराई जा रही हैं।

7.3.6 ईको–ट्यूरिज्म

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में लक्ष्मणगढ़, सीकर में ईकोलॉजी पार्क के विकास हेतु स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि रूपये 1359.00 लाख के क्रियान्वयन हेतु पर्यटन विभाग द्वारा वन विभाग को प्रथम किस्त के रूप में राशि 50.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पार्क का माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा दिनांक 18.12.2020 को उद्घाटन किया गया।

7.3.7 ईको–सेन्सिटिव जोन

सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों और 24 ईको–सेन्सिटिव जोन घोषित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें से 14 क्षेत्रों के फाईनल नोटिफिकेशन जारी कर दिये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ठ के रूप में पृथक से संलग्न किया गया है।

7.3.8 चिड़ियाघर

- माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर को पर्यटकों के लिए 20.01.2016 को खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2019–20 में 3.28 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रूपये 91.80 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
- सज्जनगढ जैविक उद्यान, उदयपुर को दिनांक 12.04.2015 को पर्यटकों के लिए खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2019–20 में 2.26 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रूपये 76.22 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
- नाहरगढ जैविक उद्यान, जयपुर को दिनांक 04.06.2016 को पर्यटको के लिए खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2019–20 में 4.23 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रुपये 204.94 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

- जयपुर जन्तुआलय में भी इस वर्ष 3.34 लाख पर्यटक आये, जिनसे रुपये 65.46 लाख की आय हुई।
- राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों / जैविक उद्यान / चिड़ियाघरों से वर्ष 2019–20 में कुल 27.37 लाख पर्यटक आये हैं जिनसे रूपये 3710.32 लाख की आय हुई है।
- इसी प्रकार बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान व कोटा में अभेड़ा जैविक उद्यान का निर्माण करवाया जा रहा है। अजमेर में पुष्कर में जैविक उद्यान बनाने हेतु केन्द्रीय जन्तुआलय प्राधिकरण से स्वीकृति ली जा रही है।
- केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण के द्वारा चिडियाघरों के संधारण बाबत जारी गाईड लाईन अनुसार राज्य के सभी जैविक उद्यानों एवं चिडियाघरों यथा नाहरगढ जैविक उद्यान व जयपुर चिडियाघर / माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर / बीकानेर, चिडियाघर / कोटा चिडियाघर एवं सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर मे पशु पक्षियों के स्वच्छता (Sanitation), हाईजीन (Hygiene), रोग निरोधी (Prophylactic), पोषण (Nutrition), तथा बीमार जानवरों के प्रबन्धन इत्यादि सम्बन्धित मामलों पर परामर्श देने हेतु प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 6 (50) प्र.सु. / अनु.–3 / 2020 दिनांक 11.12.2020 द्वारा स्वास्थ्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

❑❑❑

अध्याय – 8
कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

- वन मण्डलों/जिलों में स्थित वन क्षेत्रों के प्रबंधन की कार्य आयोजनाओं की तैयारी, स्वीकृति एवं समीक्षा करना।
- वन बन्दोबस्त संबंधित सभी प्रकरणों का परीक्षण एंव निस्तारण।
- वन भूमि के अमलदरामद, रेखाकंन व सीमांकन कार्य का परीक्षण व प्रबोधन।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर द्वारा इन कार्यो के सम्पादन एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

8.1 कार्य आयोजना

प्रत्येक वन मंडल के वन क्षेत्रों के प्रबन्धन हेतु दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार की जाती है। वर्तमान में कार्य योजना तैयारी हेतु सात कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमशः उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर में स्थाई रूप से स्वीकृत हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार जिन जिलों में कार्य आयोजना बनाई जानी होती है, में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। संभागीय मुख्य वन संरक्षकगणों को उनके जिलों से संबंधित कार्य आयोजना अधिकारियों का नियंत्रक अधिकारी बनाया गया है व कार्य आयोजना तैयारी में संबंधित प्रादेशिक उप वन संरक्षकगण एवं कार्य आयोजना अधिकारियों के मध्य पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
राजस्थान के विभिन्न वनमण्डलों के वन क्षेत्रों (वन्यजीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क को छोडकर) के प्रबन्धन हेतु 31 कार्य आयोजनाएँ स्वीकृत करायी गई थीं। वर्तमान में नवीन राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2014 के अनुसार वनमण्डल के स्थान पर जिलेवार कार्य आयोजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ एवं चित्तौडगढ की कार्य आयोजना मार्च 2020 में समाप्त हो चुकी हैं।

जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ, चित्तौडगढ दौसा, बीकानेर, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, चूरू एव राजसमन्द इन जिलों की प्रारम्भिक कार्य आयोजना स्वीकृत हो चुकी हैं एवं चित्तौडगढ, उदयपुर व बांसवाड़ा जिलों की कार्य आयोजनाओं को स्टेंडिंग कन्सलटेटिव कमेटी से अनुमोदित कराया जा चुका है, कमेटी से प्राप्त सुझावों को शामिल करवाया जा रहा है। कार्य आयोजना को नवीन राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2014 के अनुसार पूर्ण कराने हेतु एफ.ई.एस. (Foundation for Ecological Security)

आनन्द, गुजरात का तकनीकी सहयोग प्राप्त करने हेतु एम.ओ.यू. (Memorandum of Understanding) भी किया जा चुका है। शेष कार्य आयोजनाओं के लेखन का कार्य जारी है।

राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2014 के प्रावधानों के तहत इस बार कार्य आयोजना तैयारी में आधुनिक तकनीक जैसे रिमोट सैंसिंग, जी.आई.एस. व जी.पी.एस. आधारित मोबाईल एप का उपयोग कर, डाटा एकत्र कर जैव विविधता सर्वे, फोरेस्ट इन्वेन्ट्री व मैपिंग का कार्य भी किया जा रहा है, जो कि पूर्व में तैयार की जाती रही कार्य आयोजना की प्रक्रिया से भिन्न है।

8.2 वन बन्दोबस्त

वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षित /रक्षित वन घोषित किये जाने की प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।
किसी वन क्षेत्र को रक्षित/आरक्षित वन खण्ड गठित करने की प्रारम्भिक अधिसूचना राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(1)/04 के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र मे प्रकाशन उपरांत अंतिम अधिसूचना हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार जांच व सुनवाई कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाता है। तदुपरांत राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(3)/20 के अन्तर्गत अंतिम अधिसूचना राज्य सरकार स्तर से जारी कर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाता है। गत वर्षो में प्रारम्भिक व अंतिम रूप से अधिसूचित कराये गए अवर्गीकृत वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार हैः–

वन खण्डो की जारी अंतिम अधिसूचना (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)			वन खण्ड गठित करने की जारी प्रारम्भिक अधिसूचना (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)		
2017–18	**2018–19**	**2019–20**	**2017–18**	**2018–19**	**2019–20**
2255.25	320.874	597.49	308.1696	367.977	500.093

8.2.1 वन भूमि का विवरण

राजस्थान राज्य की कुल वन भूमि 32862.50 वर्ग किमी. है जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल 342239 वर्ग किमी. का 9.60 प्रतिशत है। उक्त वन भूमि में से 12176.24 वर्ग किमी. आरक्षित, 18543.22 वर्ग किमी. रक्षित तथा 2143.04 वर्ग किमी. अवर्गीकृत है। जिलेवार वन भूमि का विवरण परिशिष्ठ के रूप में पृथक से संलग्न किया गया हैं। अवर्गीकृत वन भूमि को अधिसूचित करवाये जाने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

8.2.2 वन भूमि का सीमांकन

वन भूमि की पहचान व सुरक्षा हेतु वन भूमि का सीमांकन वन सीमा पर वन सीमा स्तम्भ लगा कर किया जाता है। राज्य की वन भूमि की सीमा पर 2,83,943 वन सीमा स्तम्भ लगाये जाने अपेक्षित हैं, जिनमें से वर्ष 2019–20 तक 1,12,409 वन सीमा स्तम्भ लगाये जा चुके हैं जबकि 1,71,534 वन सीमा स्तम्भ लगाये जाने शेष हैं। उपलब्ध बजट के अनुसार प्रतिवर्ष वन सीमा पर स्तम्भ लगाये जा रहे हैं।

8.2.3 प्रारम्भिक एवं प्लेन टेबल सर्वे का कार्य

क. स.	सर्वे कार्य का नाम	उपलब्धि					
		भौतिक (वर्ग किमी)			वित्तीय(लाखों में)		
		2017–18	**2018–19**	**2019–20**	**2017–18**	**2018–19**	**2019–20**
1	**प्रारम्भिक सर्वे**	88.00	75.90	26.00	3.04	3.41	1.18
2	**प्लेन टेबल सर्वे**	122.41	34.61	11.00	10.74	3.36	1.09

8.2.4 वन भूमि का राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद

वन भूमि का विभाग के नाम दर्ज होना की सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। राज्य की कुल वन भूमि 32862.50 वर्ग किमी. के विरूद्ध 28141.12 वर्ग किमी. भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हो चुका है किन्तु अभी भी 4721.38 वर्ग किमी. वन भूमि विभिन्न कारणों से अलमदरामद नहीं हो पायी है। इस हेतु संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का स्थाई गठन राज्य सरकार, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग की राज्य आज्ञा क्रमांक प. 6 (35) प्र.सु. अनुदेश–3 / 99 / जयपुर दिनांक 10.6.2019 द्वारा किया जा चुका है। इस स्थाई समिति के माध्यम से बैठकें आयोजित कर अवशेष वन भूमि के अमलदरामद करवाने का सतत प्रयास किया जा रहा है।

❑❑❑

अध्याय – 9

वन अनुसंधान

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र राज्य के वन विभाग में शोध एवं अनुसंधान कार्यो के लिये वर्ष 1956 में राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मण्डल की स्थापना की गयी। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनवर्धन) के कार्यालय अधीन ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर; वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर; विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, झालाना, जयपुर; बीज उत्पादन एवं भण्डारण, जयपुर एवं वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर केन्द्र कार्यरत हैं। वनवर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एंव जल–मृदा परीक्षण से सम्बन्धित दो प्रयोगशालायें भी हैं।

9.1 पौधशालायें अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनवर्धन) कार्यालय अधीन ग्रासफार्म नर्सरी, जयपुर; फारेस्ट रिसर्च फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर; विश्व वानिकी आरबोरेटम, जयपुर एवं बांकी अनुसधांन केन्द्र, सीसारमा, उदयपुर कुल चार नर्सरियां हैं। इन पौधशालाओं में अनुसंधान कार्य के अतिरिक्त आम जनता को वितरण हेतु पौधे भी तैयार किये जाते हैं।

9.2 अनुसंधान परियोजनाएं वन अनुसंधान कार्यों की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा निर्देश देने के लिये विभाग में वर्ष 2005–06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया हुआ है। दिनांक 9.06.2020 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में शोध परामर्शी समूह की बैठक में पूर्व के वर्षो में किये गये कार्यो की समीक्षा की गई तथा वर्ष 2020–21 में किये जाने वाले कार्यों का निर्णय लिया गया। विभिन्न वर्षो मे शोध परामर्शी समूह की बैठकों में स्वीकृत की गई अनुसंधान परियोजनाओं का नाम एवं आवंटित बजट का विवरण निम्न तालिका अनुसार है :

वर्ष	कार्यालय का नाम	कार्य का विवरण	राशि लाखों में
	वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा	1.Developing propagation protocol of some useful medicinal plants	0.25
	विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	2. Organisation of "Forest Food Festival"	2.00
		3.Establishment of "Rashi Van"	2.00
2018–19		4. Developing propagation technique of "Buchanania lanzan"	0.25
	वन अनुसंधान फार्म,बांकी,सिसारमा,उदयपुर	5. Raising of plants of Dalbergia latifolia (Indian Rosewood) by seed	0.25
2018–19		6. Developing propagation protocol of some useful medicinal plants	0.25
	ग्रास फार्म नर्सरी , जयपुर	7. Establishment of a Herbal Garden, at Grass Farm Nursery, Jaipur	4.50
	Director AFRI, Jodhpur	8. Study on the effects of tree on soil fertility and crop production in Rajasthan	2.16

2019–20	विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	1. Forest food festival	2.00
		2. Habitat improvement, renovation & biodiversity conservation work at Amrita Devi Park, Jaipur	4.50
	ग्रास फार्म नर्सरी , जयपुर	3. To study the effect of Pusa Hydro Gel on plants on different parameters.	0.45
		4. Developing alternatives to poly bags	0.30
	वन अनुसंधान फार्म, बांकी, सिसारमा, उदयपुर	5. Developing propagation technique of "*Dalbergia latifolia*"	0.20
		6. Developing propagation protocol of some useful indigenous medicinal plants	0.30
	वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा	7. Development & Improvement of "seedling seed orchards"	4.50
		8. Establishment of Vermi composting unit.	0.50
	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बीज जयपुर	9. Collection of quality seeds from Seed Production Areas	4.00
	उप वन संरक्षक (अनुसंधान) राजस्थान, जयपुर।	10. Organization of RAG meeting; documentation, publishing and dissemination of annual report, technical bulletins of lesser known species & other important research findings to stakeholders.	1.80
2020–21	विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	1. Maintenance of Ethno Medicinal Plant Garden	0.50
		2. Status Assessment, propagation and re-introduction of Ephedra foliata (Unth Phog)	0.25
		3. Establishment of "Forest Food Park"	1.56
		4.Habitat Improvement, Renovation & Biodiversity conservation work at Amrita Devi Park, Jaipur	4.58
	ग्रास फार्म नर्सरी , जयपुर	5. Establishment of Herbal Garden	1.69
	वन अनुसंधान फार्म, बांकी, सिसारमा, उदयपुर	6. Developing propagation protocol of useful medicinal plants (Pterocarpus marsupium)	0.14
		7. Developing propagation technique of Dalbergia latifolia	0.20
	वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा	8. Development & Improvement of seeding seed orchards	1.00
		9. Establishment of "Vermi composting unit"	0.33
	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बीज जयपुर	10. Collection of quality seeds from "Seed Production Areas"	4.00
2020–21	अनुसंधान अधिकारी (बीज)	11.Improving facilities of seed testing laboratory, Grass Farm , Jaipur	1.50
	उप वन संरक्षक (अनुसंधान) राजस्थान, जयपुर।	12.Organization of RAG meeting; Procurement of books and periodicals; documentation, Publishing and dissemination of Annual Report, Technical bulletins of lesser known species & other important research findings to stakeholders.	1.25

9.3 बीज उत्पादक क्षेत्र (Seed Production Area)

अच्छे किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिये उन्नत किस्म के बीजों का विशेष महत्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिये वनवर्धन कार्यालय निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित करने उपरांत वहीं से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को उपलब्ध कराता है। राज्य में कुल 31 बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

9.4 बीज एकत्रीकरण

बीज संग्रहण एवं भंडारण रेंज, जयपुर द्वारा उत्पादक क्षेत्रों से बीजों का एकत्रीकरण कर विभाग के विभिन्न वन मण्डलों को उपलब्ध कराये गये हैं। वर्षवार बीज संग्रहण का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	प्रजातिवार संग्रहित बीजों की मात्रा (कि.ग्रा. में)			
	देशी बबूल	अकेशिया टोर्टलिस	खेजडी	कुमठा
2018–19	1500	300	–	1650
2019–20	1500	–	390	1700
2020–21 (माह दिसम्बर तक)	2000	–	240	–

9.5 बीज, मृदा व जल की जाँच

वनवर्धन शाखा की मृदा व बीज परीक्षण प्रयोगशालायें न केवल वन विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गये बीज, मिट्टी व पानी के नमूनों की जाँच करती है, अपितु आम जनता द्वारा लाये गये नमूनों की निःशुल्क जाँच कर उपर्युक्त सुझाव देती है। प्रयोगशालाओं मे प्राप्त सेंपलों की वर्षवार संख्या निम्न तालिका में दर्शाया गयी है:

वर्ष	नमूनों की संख्या (बीज)	नमूनों की संख्या (मृदा)	नमूनों की संख्या (जल)
2018–19	116	35	11
2019–20	150	15	27
2020–21	128	08	03

❑❑❑

अध्याय – 10
विभागीय कार्य योजना

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरकुंश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई के कारण वनों को काफी क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्य योजना द्वारा वनों के चिन्हित कूपों को वैज्ञानिक पद्वति से स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकडी, कोयला, इमारती लकडी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्तमान में अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार विभागीय कार्य मण्डलों द्वारा पेडों का विदोहन कर उसका नियमानुसार निस्तारण किया जाता है।

10.1 प्रशासनिक व्यवस्था

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर स्टेज–2, बीकानेर व सूरतगढ कार्यरत हैं।

उप वन संरक्षक, बीकानेर/स्टेज।। बीकानेर/सूरतगढ द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार नहर के किनारे एवं नहर क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपणों का विदोहन कराया जा रहा है। उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य वर्किंग स्कीम के अनुसार बाँस कार्य का विदोहन उदयपुर जिले में करवाया जा रहा है। उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के चौडीकरण के फलस्वरूप वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकडी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पडी लकडी के विदोहन पश्चात विक्रय करने का कार्य कराया जा रहा है।

10.2 विभागीय कार्य योजना की विभिन्न योजनाएँ

10.2.1 लकडी व्यापार योजना

जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकडी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है।

प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकडी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पडी लकडी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक वृत के मुख्य वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न सडकों एवं नहर

के किनारों पर खडे वृक्षों के आंधी–तूफान से गिरने अथवा सूख जाने पर उनसे भी कुछ मात्रा में लकडी प्राप्त होती है। इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षो में कराये गए वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय एवं उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	उत्पादन (लाख क्विंटल में)		योग (लाख क्विंटल)	प्राप्त राजस्व (रू.लाखों में)
	इमारती लकडी	जलाऊ लकडी		
2017-18	3.97	4.72	8.69	2630.38
2018-19	2.89	4.88	7.77	2969.29
2019-20	1.66	3.25	4.91	1797.80

वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक लकडी, कोयला व्यापार योजना के तहत प्राप्त राजस्व 943.00 लाख है।

10.2.2 बाँस विदोहन योजना

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर क्षेत्र के वन क्षेत्रों में स्वीकृत वर्किंग स्कीम के आधार पर बाँस विदोहन कार्य करवाया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये हैं, जहां बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन एवं आय की सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	मानक बांस उत्पादन के लक्ष्य (संख्या लाखों में)	मानक बांस उत्पादन की उपलब्धि (संख्या लाखों में)	मानक बांसों से प्राप्त राजस्व आय (रू.लाखों में)
2017–18	11.00	11.02	318.22
2018–19	11.58	11.63	286.75
2019–20	10.50	10.50	306.75

वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक बांस विदोहन योजना में प्राप्त राजस्व 254.59 लाख है।

10.2.3 कोविड–19 के संक्रमण के कारण विभागीय कार्य योजनाओं पर प्रभाव

वर्तमान में माह मार्च 2020 से कोविड –19 के संक्रमण के कारण संपूर्ण लॉकडाउन होने से पातन कार्य प्रभावित रहे तथा कोविड–19 के कारण फैक्ट्रीयां बंद रहने से लकडी की मांग नहीं होने से भी कम राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन होने के कारण श्रमिकों की संख्या में गिरावट होने के कारण पातन कार्य पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पडा है।

10.3 राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना

वन सम्पदा जैसे कि काष्ठ व अकाष्ठ तथा लघु वन उपजों का दोहन व मूल्य संवर्धन कर सुनियोजित तरीके से बाजार में सर्वजन के उपभोग हेतु उपलब्ध कराना, वन क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन तथा उससे जुडी गतिविधियों व सेवाओं का संचालन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजस्थान में राजस्थान राज्य वन विकास निगम के गठन की घोषणा राज्य बजट में दिनांक 20 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य विधानसभा में की गई। इस बजट घोषणा की अनुपालना में दिनांक 16.12.2020 को राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कम्पनीज एक्ट 2013 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में किया गया।

10.3.1 राजस्थान राज्य वन विकास निगम के गठन से होने वाले लाभ

- निगम राज्य के (क) वन तथा गैर वन भूमि पर वनस्पति (काष्ठ व अकाष्ठ) तथा लघु वन उपज, (ख) वन व रक्षित क्षेत्रों में पर्यटन तथा इससे जुडे सेवाओं आदि वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास की प्रचुर संभावनाओं को सृजित करेगा, जिससे अब तक वन क्षेत्रों में विद्यमान वन सम्पदा पर स्थानीय दबाव व अवैध गतिविधियों से होने वाले दोहन को रोकने में भी मदद मिलेगी।

- राजस्थान राज्य वन विकास निगम के गठन से विभागीय कार्यो में गुणात्मक सुधार, त्वरित निर्णय, कार्य क्षमता संवर्धन तथा लाभप्रदता आदि सकारात्मक योगदान वन विभाग को प्राप्त होगा।

- राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में विद्यमान सिंचाई तंत्र द्वारा पोषित अनेक वृक्षारोपण स्थलों पर स्थानीय प्रजाति तथा अन्य उन्नत प्रजाति के इमारती लकडियों का उत्पादन, दोहन एवं संवर्धन की प्रचुर संभावना है। इस उद्देश्य हेतु निगम का गठन अत्यंत ही लाभदायक है। इसके अतिरिक्त समूचे राज्य में गैर वन भूमि क्षेत्रों में विलायती बबूल तथा लेंटाना जैसे कॅटीली झाडियों के वाणिज्यिक दोहन उपरांत मूल्य संवर्धन कर इसे एक लाभदायक उद्यम के तौर पर विकसित किया जा सकता है। इस कार्य के लिए भी निगम का योगदान महत्वपूर्ण होगा।

❑❑❑

अध्याय – 11

तेन्दू पत्ता व्यापार

राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज आय प्राप्ति का प्रमुख स्त्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीडी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड, बारां, चितौडगढ़, बांसवाडा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाडा, पाली, अलवर एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते हैं।

राजस्थान राज्य में वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेन्सियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत विभिन्न संभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग हेतु पृथक–पृथक सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। जिसमें संबंधित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती है।

तेंदु पत्तासंग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। संग्रहण दरों का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी की दरों के आधार पर करने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 1974 में यह दर 18/– से 20/– रू0 प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी जो निरंतर वृद्धि के पश्चात वर्ष 2020 के लिए रू. 1010/–प्रति मानक बोरा एवं वर्ष 2021 हेतु रू. 1050/– प्रति मानक बोरा तेन्दू पत्ता संग्रहण दर निर्धारित की गई है।

तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अंतर्गत प्रति वर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता इकाईयों का गठन किया जाकर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त उनका बेचान निविदायें आमंत्रित कर तथा खुली नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाईयों को राज्य सरकार की स्वीकृति से पड़त रखा जाता है।

वर्ष 2020–21 के लिए राज्य की कुल 167 इकाइयों में से 114 इकाईयों का व्ययन हुआ एवं शेष 53 इकाईयों को पडत रखी गई। इकाईयों के व्ययन से मार्च 2021 तक लगभग 750.29 लाख रु. की आय प्राप्त होने की संभावना है। वर्ष 2020 में कुल 2.79 लाख मानक बोरे संग्रहित हुये जिसके विरूद्ध क्रेताओं द्वारा लगभग 2817.90 लाख रू0 का पारिश्रमिक सीधे ही श्रमिकों को चुकाया गया है, जो कि कोविड–19 से उत्पन्न आर्थिक मंदी के वर्ष में श्रमिकों के लिए राहत की स्थिति है।

वर्ष 2021 के संग्रहण काल हेतु राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समितियों का गठन किया जाने के पश्चात ऑनलाईन (Google Meet के माध्यम से) बैठक का आयोजन किया जाकर वर्ष 2021 के तेन्दू पत्ता संग्रहण हेतु रू. 1050/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई है।

वर्ष 2021 के लिए राज्य में कुल 166 तेंदू पत्ता इकाइयों का गठन किया जाकर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जा चुका है, तथा उक्त इकाईयों के विक्रय हेतु प्रथम निविदाएं दिनांक 20.01.2021 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 21.01.2021 को खोली जायेंगी। द्वितीय निविदाएं 27.01.2021 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 28.01.2021 को संभाग स्तर पर खोली जायेंगी। तेंदु पत्ता विक्रय से अवशेष रही इकाईयों के व्ययन हेतु संबंधित सम्भाग स्तर से खुली नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

क.स.	आय का विवरण	वास्तविक प्राप्तियां (लाख रू0 में)			
		2017–18	2018–19	2019–20	2019–20 (31.12.2020 तक)
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	7890.73	3462.31	1066.08	**680.57**
2.	अन्य विविध आय	91.09	22.24	6.46	**11.05**
	योग	**7981.82**	**3484.55**	**1072.54**	**691.62**

अनुसूचित क्षेत्रों से प्राप्त आय का संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तानांतरण

राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधो का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 एवं राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधो का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम 2011 के नियम 26(2) व 26 (3) की पालना में वर्ष 2011–12 का अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को तेंदू पत्ता एवं बांस योजना से प्राप्त शुद्ध आय राशि 308.72 लाख रुपये (268.34 लाख तेन्दू पत्त से तथा 40.68 लाख बांस से) पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचातयों में आवंटन किया जा चुका है, परन्तु राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2013 द्वारा नियम 26 (2) व (3) में संशोधन कर शुद्ध आय के स्थान पर सकल आय प्रतिस्थापित करने के कारण वर्ष 2012–13 की सकल आय को उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में वितरण हेतु राशि 830.23 लाख रुपये प्रस्तावित किये गये थे। जिसमें से 295.34 लाख तेन्दू पत्ता से तथा 99.02 लाख बांस आय से पुराने पैटर्न अनुसार ग्राम पंचायतों को अन्तरित किये जा चुके है तथा रू. 274.98 लाख तेन्दू पत्ता आय से एवं 160.89 लाख रू. बांस की आयु से SFC (State Finance commission) पैटर्न पर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के वितरण हेतु हस्तान्तरित किये गये हैं। इस प्रकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक 838.66 लाख रू. तेन्दू पत्ता से तथा 300.29 लाख रू. बांस से प्राप्त आय को अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है।

❑❑❑

अध्याय – 12

सूचना प्रोद्योगिकी

12.1 ई–गवर्नेंस कार्य

12.1.1 विभागीय वेबसाईट (www.forest.rajasthan.gov.in) का विकास एवं संधारण :

विभागीय वेबसाइट विभाग की विभिन्न जानकारियॉ, गतिविधियॉ, परियोजनायें, आदेश, कार्यक्रम एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुंचाने का एक सुगम माध्यम है। इस पर विभाग की विभिन्न शाखाओं संबंधित जानकारी, उपयोगी प्रपत्र, महत्वपूर्ण लिंक द्वारा विस्तृत सूचना उपलब्ध कराई गई है। यह कार्य RajCOMP Info Services Ltd. (RISL : A fully owned Rajasthan Government Company) के माध्यम से किया जा रहा है।

12.1.2 ई–प्रोक्योरमेन्ट एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल :

राज्य सरकार द्वारा बनाये गये ई–प्रोक्यूरमेंट पोर्टल एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्यवाही विभाग की आई.टी. शाखा द्वारा की जाती है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पर कार्यवाही करते हुये रजिस्ट्रेशन किया जाकर यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। आगामी कार्यवाही सम्बंधित अधिकारियों द्वारा उनके स्तर पर सम्पन्न की जाती है। यह निरन्तर किया जाने वाला कार्य है।

12.1.3 ReAMS (E-gazette) :

राज्य सरकार के इस पोर्टल पर विभाग की ओर से विभिन्न अधिनियम, परिपत्र, नोटिफिकेशन इत्यादि को प्रकाशित करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके द्वारा ऑन लाईन सूचना भेजे जाने पर ही राजकीय मुद्रणालय में प्रकाशन की कार्यवाही की जाती है। विभाग की तेंदू पत्ता शाखा द्वारा इसका उपयोग करते हुये आवश्यक नोटिफिकेशन प्रकाशित किये गये हैं।

12.1.4 BSR online/AS/FS/MB/BOQ Modules :

वित्त विभाग द्वारा आई.एफ.एम.एस. के अंतर्गत इन मोड्यूल्स को विकसित किया गया है। इसके माध्यम से कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ऑन लाईन जारी की जानी है। आई0टी0 शाखा द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यवाही करते हुए यूजर मेनेजमेंट, प्रशिक्षण, तकनीकी समन्वय तथा विभाग का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वन मंडल जयपुर उत्तर एवं वन मंडल जयपुर को पॉयलट डिवीजन के रूप में लिया गया है। इस क्रम में कार्यवाही करते हुए दिनांक 02.11.2020 से कार्य प्रारम्भ किया गया है और वित्त विभाग के निर्देशानुसार शीघ्र ही इसे समस्त विभाग में लागू किया जावेगा।

12.1.5 राजकीय ई मेल @rajasthan.gov.in तथा SSO IDs का उपयोग :

विभाग की आई.टी. शाखा द्वारा राजकीय मेल के उपयोग हेतु समस्त कार्यालयों के साथ समन्वय करते हुए राजकीय मेल एवं SSO IDs के उपयोग हेतु कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में आने वाली समस्याओं के निराकरण बाबत् सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के साथ समन्वय कर कार्यवाही की जाती है।

12.1.6 ई–ग्रीनवॉच पोर्टल :

भारत सरकार द्वारा बनाये गये ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पर वन मंडलों द्वारा वृक्षारोपण एवं अन्य विकास कार्यों का डेटा अपलोड किया जाता है। आई.टी. शाखा द्वारा यूजर नेम एवं पासवर्ड मेनेजमेंट, रिपोर्टिंग कार्य तथा तकनीकी सहयोग का कार्य प्राथमिकता से किया जाता है, साथ ही मुख्यालय स्तर से विकास, कैम्पा एवं मूल्यांकन शाखा से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सहयोग दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक कार्यों में फोरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया, भारत सरकार तथा एन.आई.सी. भोपाल के साथ समन्वय कर प्रशिक्षण एवं तकनीकी सुधार की कार्यवाही मुख्यालय स्तर पर आई.टी. शाखा द्वारा ही की जाती है।

12.1.7 वीडियो कॉन्फ्रेसिंग एवं ऑनलाईन मीटिंग :

विभाग में मुख्यालय स्तर पर अरण्य भवन में सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई हुई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा से अरण्य भवन से ब्लॉक स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की जा सकती है। कोविड–19 की परिस्थितियों के मध्य नजर अधिकांश बैठको को ऑनलाईन माध्यम से किया जाना ही सम्भव होने से इसमें अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में संभाग एवं वन मंडल स्तर तक के अधिकारियों से होने वाली बैठकों के अतिरिक्त अनेक स्तर पर होने वाली बैठकें ऑनलाईन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से सम्पन्न की जा रही हैं और इस वर्ष माह दिसम्बर 2020 तक लगभग 70 बैठकें की जा चुकी हैं।

12.1.8 राज–काज पोर्टल :

राज्य सरकार के राज–काज पोर्टल द्वारा भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा के सभी अधिकारियों के लिए अवकाशों (कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकृत होने वाले अवकाशों के अतिरिक्त) का आवेदन एवं स्वीकृति इस मॉड्यूल के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त Online APARs, IPRs & Store Modules (Selected Offices) का कार्य भी इसके माध्यम से किया जा रहा है। आई.टी. शाखा द्वारा ऑनलाईन आवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के सम्बंध में समस्त प्रकार की तकनीकी कार्यवाही एवं यूजर मेनेजमेंट सम्बंधी कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष में मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों के क्रम में कार्यालयों में पत्रावली सम्बन्धी पारदर्शिता हेतु फाईल ट्रेकिंग सिस्टम भी लागू किया जा रहा है।

12.1.9 आई. टी. संबंधित अन्य तकनीकी कार्य :

विभाग की मुख्यालय स्थित सभी शाखाओं में आई0टी0 संबंधित तकनीकी कार्यवाही हेतु अनेक पोर्टल एवं सुविधाओं जैसे RTI portal, Jan Aadhar portal, RajWiFi facility, Online webinar etc. में तकनीकी

सहयोग प्रदान किया जा रहा है। साथ ही फील्ड कार्यालयों को तकनीकी मैनपावर, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर मेन्टीनेंस, तकनीकी प्रशिक्षण आदि हेतु बजट प्रावधानों के अंतर्गत मांग अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाकर आई.टी. सम्बंधी कार्यों में सहयोग किया जाता है।

12.1.10 Forest Management and Decision Support System (FMDSS):

इस वित्तीय वर्ष में FMDSS 1.0 के अंतर्गत चल रहे मोड्यूल्स के संधारण के साथ ही इसके अधिक सक्षम एवं तकनीकी रूप से नवीनतम सुविधाओं के उपयोग किये जाने के दृष्टिगत रखते हुए FMDSS 2.0 का विकास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नवीन मोबाईल एप ''वृक्षारोपण निगरानी एप'' तैयार किया जा कर, सफल परीक्षण उपरांत दिनांक 18.12.2020 को राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा शुभारम्भ किया गया है। इसके द्वारा वृक्षारोपण कार्यों में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता में वृद्धि हो पायेगी। इस एप के शुभारम्भ दिवस पर प्रदेश के प्रत्येक वन मंडल में कम से कम एक वृक्षारोपण स्थल पर 560 फील्ड स्टॉफ द्वारा कुल 793 वृक्षारोपण पर विजिट कर वृक्षारोपण स्थलों का डाटा अपलोड किया गया। इसी प्रकर की अन्य सुविधाऐं विकसित होने पर विभिन्न विभागीय गतिविधियों जैसे वन विकास, उत्पादन, वनसुरक्षा, वनअपराध, वित्तीय प्रबन्धन आदि का प्रबन्धन एवं मोनीटंरिग सुचारू रूप किया जाना संभव होगा।

12.2 <u>जी0आई0एस0 अनुभाग</u>

12.2.1 वन सीमाओं का डिजिटाईजेशन कार्य :

इसके अंतर्गत विभाग में डिजिटाईज्ड की गई वन सीमाओं में उत्तरोत्तर गुणवत्ता सुधार की कार्यवाही स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जोधपुर की सहायता से की जा रही है। वन मंडल गंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर, छतरगढ में अतिरिक्त प्रयास कर वनखंडों की सीमाओं का प्राथमिक स्तर पर डिजिटाईज्ड किया गया है जिसे अगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जावेगा।

12.2.2 Forest Asset Mapping :

विभिन्न प्रकार के प्लानिंग कार्यों हेतु उपयोगी मैप बनाये जाने के लिये डिजिटाईज्ड वन सीमाओं के अतिरिक्त अन्य डेटा जैसे मुख्यालय, गार्ड चौकी, नाका, वॉच टावर, नर्सरी तथा ऐसे ही अनेक Asset की मैंपिंग की जाने हेतु वन मंडलों से डेटा प्राप्त कर कार्यवाही की गई है एवं Draft डिजिटल मैप बनाये जाकर इन्हें संबंधित वनमंडलों को आगामी कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रक्रिया द्वारा लगभग 4200 लोकेशन्स मैप किये गये हैं जो भविष्य में FMDSS पोर्टल पर भी उपलब्ध कराये जावेंगे।

12.2.3 फोरेस्ट फायर अलर्ट मॉनिटिरिंग :

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की फॉरेस्ट फॉयर अलर्ट सुविधा में अपडेशन करवाया जाकर फील्ड स्तर पर प्राप्त होने वाले फोरेस्ट फॉयर अलर्ट की सूचना को और अधिक सटीक बनाया गया है। इसके लिये जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म पर वन मंडल एवं रेंज की सीमाऐं डिजिटल रूप में भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून को उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्राप्त सम्भावित फोरेस्ट फॉयर क्षेत्रों के लिये सम्बंधित वनमंडलों को ई–मेल द्वारा सूचनाऐं भिजवाते हुए फीडबैक देने के लिए

निर्देशित किया जा रहा है एवं फायर अलर्ट डेटा को वन सुरक्षा शाखा के सहयोग से FMDSS पोर्टल पर अपलोड करते हुए मोबाईल एप के माध्यम से सूचना मांगी जा रही है।

12.2.4 कार्य आयोजना एवं अन्य जी.आई.एस. संबंधित कार्य :

इस वित्तीय वर्ष में ऐसे वन मंडल जिनकी इस वर्ष एवं आगामी वर्षो में कार्य आयोजनाऐ तैयार की जानी है, उन्हे मैंपिंग एवं डिजिटाईजेशन डेटा तैयार करने के लिये तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। इसी प्रकार भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विभागों के साथ कार्य करते हुए अनेक प्रकार की जी.आई. एस. एनालिसिस (शहरी क्षेत्रों में आने वाले वन क्षेत्र की सूचना, लिडार तकनीक द्वारा सर्वे प्रक्रिया में सहयोग (यमुना रिवर केचमैंट एरिया क्षेत्र की वन भूमि का प्लान तैयार करने में सहयोग), K.M.L फाईल लिंकिंग, वन मंडल के पुनर्गठन के फलस्वरूप सीमाओं में होने वाले परिवर्तन की मैंपिंग, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा Aichi Target 11 हेतु जी.आई.एस. डेटा कम्पाईलेशन जैसे अनेक कार्य निरन्तर किये जा रहे हैं।

12.2.5 Capacity Building in GIS Techniques :

वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर की सुविधाओं का उपयोग करते हुए विभिन्न वन मंडलों के सर्वेयर एवं अन्य फील्ड स्टॉफ को जी0आई0एस0 तकनीक, ई ग्रीनवॉच, के0एम0एल0 फाईल तैयार करना तथा अन्य आई0टी0 एप्लीकेशन के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है।

❑❑❑

अध्याय–13

मानव संसाधन विकास

13.1 वन प्रशिक्षण

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नए प्रयोगों, नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग से परिचित रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर विभिन्न विषयों पर निरन्तर प्रशिक्षण दिया जावे। राज्य में वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों में इसी अनुरूप दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समय की आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन किए जा रहे हैं। राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में प्रशिक्षण देने हेतु तीन संस्थाएं यथा राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर तथा मरू वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में स्थित हैं। प्रशिक्षण कार्यो की राज्य के वन एवं वन्य जीव प्रबंधन के संदर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी विषयों के प्रशिक्षित वक्ताओं व विद्वानों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यकमों का प्रशिक्षण केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार हैः

13.2 राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर

वर्ष 2020–21 के दौरान माह मार्च 2020 में कोविड–19 महामारी के फैलने के कारण प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षुओं को नही बुलाया जाकर कोविड–19 की गाईडलाइन अनुसार ऑनलाईन निम्नानुसार प्रशिक्षण आयोजित किए गये :–

13.2.1 नव नियुक्त कनिष्ठ सहायकों का ऑनलाईन प्रशिक्षण

विभाग में राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, जयपुर द्वारा चयनित 104 कनिष्ठ सहायकों को दिनांक 15.09.2020 से 08.10.2020 प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें R.T.P.P. एक्ट, कार्यालय पद्धति, बिल, कैश, वाम, पे–मैनेजर, कैश बुक, नियम एवं कोर्ट केसेज विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

13.2.2 सर्वेयरों का ऑफलाईन एवं ऑनलाईन प्रशिक्षण

विभाग में कार्यरत 50 सर्वेयरों को दिनांक 19.09.2020 से 29.09.2020 तक QGIS Training के अंतर्गत फोरेस्ट सेटलमेंट प्रोसेज़, गजट नोटिफिकेशन, खसरा मिलान, रेवन्यू रिकार्ड, अपना खाता ऑनलाईन प्लेटफार्म, फोरेस्ट मैप, जी.टी. शीट, फोरेस्ट बाउन्ड्री, वर्किंग प्लान, स्टॉकमैप के विषयों में 45 ऑनलाईन एवं 5 ऑफलाईन सर्वेयरों को प्रशिक्षण दिया गया।

13.2.3 वाईल्ड लाईफ मेनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स

विभाग में वन्यजीव वन मण्डलों में कार्यरत वनपाल, सहायक वनपाल एवं वनरक्षकों को प्रशिक्षण के चार फेज बनाकर वन्यजीव अधिनियम–1972, वन्यजीव अपराध का केस बनाना, वन्यजीवों का रेस्क्यू करना, वन्यजीव मेनेजमेंट, मानव एवं वन्यजीव संघर्ष इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें प्रथम चरण में 480 ऑनलाईन एवं 20 ऑफलाईन दूसरे चरण में 480 ऑनलाईन एवं 16 ऑफलाईन, तीसरे चरण में 325 ऑनलाईन एवं 26 ऑफलाईन एवं चौथे चरण में 200 ऑनलाईन प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

13.2.4 नर्सरी तकनीक एवं प्रबंधन प्रशिक्षण

वन विभाग में स्थापित नर्सरियों में कार्यरत वनपाल, सहायक वनपाल एवं वनरक्षकों को नर्सरी तकनीक एवं मेनेजमेंट विषय पर दिनांक 14.12.2020 से 22.12.2020 तक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में ''वेजिटेशन प्रोपेगेशन'', बीजों सम्बन्धी, ''पेस्ट एवं डिजीज़ कन्ट्रोल'', प्रमुख ''ग्रास एवं प्रोपेगेशन'', विषयों पर प्रशिक्षण दिया, जिसमें 260 ऑनलाईन एवं 20 ऑफलाईन वन कर्मियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

13.2.5 राजस्थान वन अधिनियम 1953 पर प्रशिक्षण

विभाग में सभी सम्भागों में कार्यरत क्षेत्रीय वन अधिकारियों को 4 चरणों में राजस्थान वन अधिनियम 1953 एवं संशोधित वन अधिनियम 2014 पर प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें क्रमशः 68, 66, 38 एवं 50, क्षेत्रीय वन अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया

13.2.6 Confiscation: Procedure, Cr PC and Provisions of law

विभाग के उप वन संरक्षक एवं सहायक वन संरक्षक हेतु दो चरणों में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "Confiscation: Procedure, Cr PC, and Provisions of law" दिया गया। जिसमें कुल 40 एवं 84 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उक्त के अतिरिक्त विभाग के सभी सम्भागों में कार्यरत क्षेत्रीय वन अधिकारियों को भी 4 चरणों में Confiscation: Procedure, Cr PC, and Provisions of law पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें क्रमशः 45, 60, 65 एवं 60 क्षेत्रीय वन अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया

13.2.7 उप वन संरक्षकों हेतु डी.पी.सी. प्रशिक्षण

विभाग में कार्यरत 69 उप वन संरक्षकों को विभागीय पदोन्नति समिति के सम्बन्ध में नियमों एवं रोस्टर पंजिका के सम्बन्ध में दिनांक 29.09.2020 को प्रशिक्षण दिया गया।

13.3 मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर

मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर में अनुकम्पात्मक नियुक्ति से नियुक्त 32 वनपालों को छः माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया किन्तु कोविड–19 के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम रोक दिया गया था,

जो पुनः प्रारम्भ किया जावेगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से वनपालों को वन वनस्पति, वन सर्वे, वन मापिकी, वन्यजीव, मेनेजमेंट, वन लेखा नियम, वन संरक्षण अधिनियम, नर्सरी मेनेजमेंट का सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक अध्ययन कराया जाता है।

13.4 वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर

वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर में अनुकम्पात्मक नियुक्ति से नियुक्त 18 वनरक्षकों को 03 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया किन्तु कोविड–19 के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम रोक दिया गया था, जो पुनः प्रारम्भ किया जावेगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से वनरक्षकों को बेसिक वनस्पति का अध्ययन, नर्सरी में पौध तैयारी का अध्ययन एवं वन्यजीवों के सम्बन्ध में व्यापक सैद्धान्तिक अध्ययन एवं प्रायोगिक अध्ययन कराया जाता है।

❑❑❑

राजस्थान राज्य में जिलेवार वन क्षेत्र का वर्गीकरण (क्षेत्रफल–वर्ग किमी में)
31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति अनुसार

क.सं.	जिले का नाम	आरक्षित वन	आरक्षित वन	अवर्गीकृत वन	कुल वन भूमि
1	अजमेर	194.99	421.69	1.89	618.57
2	भीलवाडा	437.80	273.71	67.55	779.06
3	नागौर	0.80	206.28	35.32	242.40
4	टोंक	101.42	233.76	1.77	336.94
5	बीकानेर	0.00	755.26	495.41	1250.67
6	चुरू	7.20	48.58	17.96	73.73
7	श्री गंगानगर	0.00	238.42	395.02	633.44
8	हनुमानगढ	0.00	113.37	126.09	239.46
9	भरतपुर	0.00	422.46	12.49	434.94
10	धौलपुर	7.92	597.73	44.03	649.68
11	करौली	62.99	1693.13	53.93	1810.05
12	सवाईमाधोपुर	834.79	118.20	22.01	975.00
13	जयपुर	672.97	263.40	5.48	941.85
14	झुंझुनू	6.02	399.33	0.00	405.36
15	सीकर	9.92	622.40	9.22	641.54
16	अलवर	1010.78	640.33	133.55	1784.66
17	दौसा	134.87	149.36	0.36	284.59
18	जोधपुर	4.68	184.99	55.46	245.13
19	बाडमेर	20.30	568.81	36.87	625.98
20	जैसलमेर	0.00	239.85	342.17	582.01
21	जालौर	126.13	302.22	83.09	511.44
22	पाली	816.56	144.82	2.21	963.58
23	सिरोही	614.04	985.43	42.61	1642.08
24	कोटा	837.63	452.58	77.38	1367.59
25	बांरा	0.00	2233.03	15.82	2248.84
26	बून्दी	867.76	680.85	19.25	1567.86
27	झालावाड	314.72	946.60	25.39	1286.72
28	उदयपुर	2654.06	1494.65	13.21	4161.92
29	बांसवाडा	0.00	1006.33	0.66	1007.00
30	चित्तौडगढ	1200.75	587.11	0.75	1788.61
31	डूगंरपुर	257.08	435.71	0.51	693.30
32	प्रतापगढ	702.66	963.65	0.62	1666.92
33	राजसंमद	277.41	119.20	4.98	401.58
	कुल योग	**12176.24**	**18543.22**	**2143.04**	**32862.50**

LIST OF PROTECTED AREAS IN RAJASTHAN

S.no	Protected Area Name	District	Area(Sq. Km)	Notification no. and date
A	**National Park**			
1	Ranthambhore National Park	Sawai Madhopur	282.03	F11(26)Revenue/8/80/ Dated 01.11.1980
2	Keoladeo National Park	Bharatpur	28.73	F3(5)(9)/8/72/Dated 27.08.1981
3	Mukundra Hills National Park	Kota, Chittorgarh	199.55	F11(56)Van/2011/Part Dated 09.01.2012 Overlap with Darrah Sanctuary, Jawaharsagar Sanctuary and National Chambal Sanctuary
	TOTAL		**510.31**	Area overlap between Sanctuaries and National Parks exists which has been reduced in respective Sanctuaries
B	**Wildlife Sanctuaries**			
1	Sariska Sanctuary	Alwar	491.99	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955
2	Sariska 'A' Sanctuary	Alwar	3.01	P1(24)Van/08/ Dated 20.06.2012
3	Darrah Sanctuary	Kota, Jhalawar	227.64	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955 Overlap with Mukundara Hills National Park. Area based on MHTR notifications
4	Jawaharsagar Sanctuary	Kota, Bundi, Chittorgarh	194.59951	F11(5)13/Revenue/8/73/ Dated 09.10.1975 Overlap with Mukundara Hills National Park Area based on MHTR notifications
5	Jaisamand Sanctuary	Udaipur	52.34	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955
6	Phulwari ki Naal Sanctuary	Udaipur	511.41	F11(1)/Revenue/8/83/ Dated 06.10.1983
7	Sajjangarh Sanctuary	Udaipur	5.19	F11(64)/Revenue/8/86/ Dated 17.02.1987
8	Sitamata Sanctuary	Udaipur, Chittorgarh	422.94	F11(9)Revenue/8/78/ Dated 02.01.1979
9	Mount Abu Sanctuary	Sirohi	326.10	P.11(40)Van/97/ Dated 15.04.2008
10	Talchappar Sanctuary	Churu	7.19	F379/Revenue/8/59/ Dated 04.10.1962
11	National Chambal Ghariyal Sanctuary	Kota, Bundi, Sawaimadhopur, Karoli, Dholpur	564.03	F11(39)Revenue/8/78/ Dated 07.12.1979 Overlap with Mukundara Hills National Park Area as per DGPS survey
12	Nahargarh Sanctuary	Jaipur	52.40	F11(39)Revenue/8/80 Dated 22.09.1980
13	Jamwagarh Sanctuary	Jaipur	300.00	F11(12)Revenue/8/80/ Dated 31.05.1982
14	Desert National Park Sanctuary	Jaisalmer, Barmer	3162.00	F3(1)73/Revenue/8/79/ Dated 04.08.1980
15	Ramgarh Vishdhari Sanctuary	Bundi	303.05	F11(1)/Revenue/8/79/ Dated 20.05.1982 After de-notification
16	Keladevi Sanctuary	Karoli, Sawai Madhopur	676.82	F11(28)/Revenue/8/83/ Dated 19.07.1983
17	Shergarh Sanctuary	Baran	81.67	F11(35)/Revenue/8/83/ Dated 30.07.1983

18	Todgarh Raoli Sanctuary	Rajsamand, Ajmer, Pali	495.27	F11(56)/Revenue/8/82/ Dated 28.09.1983
19	Kumbhalgarh Sanctuary	Rajsamand, Udaipur, Pali	610.528	F10(26)Revenue/A/71/ Dated 13.07.1971
20	Sawaimansingh Sanctuary	Sawai Madhopur	113.07	F11(28)/Revenue/8/84/ Dated 30.11.1984
21	Sawaimadhopur Sanctuary	Sawai Madhopur	131.30	F/39/(2)For/55 dated 07.11.1955 Overlap with Ranthambhore National Park
22	Bhensrodgarh Sanctuary	Chittorgarh	201.40	F11(44)/Revenue/8/81/ Dated 05.02.1983
23	Bassi Sanctuary	Chittorgarh	138.69	F11(41)/Revenue/8/86/ Dated 29.08.1988
24	Van Vihar Sanctuary	Dholpur	25.60	F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955
25	Ramsagar Sanctuary	Dholpur	34.40	F39(2)FOR/55/ Dated 07.11.1955
26	Kesarbagh Sanctuary	Dholpur	14.76	F39(26)FOR/55/ Dated 07.11.1955
27	Band Baretha Sanctuary	Bharatpur	199.24	F11(1)/Enviorment/ Dated 07.10.1985
	TOTAL		**9015.79**	**Excluding overlaps with National Parks and among Sanctuaries**
C	**Conservation Reserves**			
1	Bisalpur Conservation Reserve	Tonk	48.31	P.3(19)Van/2006/ Dated 13.10.2008
2	Jodbeed Gadhwala Bikaner Conservation Reserve	Bikaner	56.4662	P.3(22)Van/2008/ Dated 25.11.2008
3	Sundhamata Conservation Reserve	Jalor, Sirohi	117.4892	P.3(22)Van/2008/ Dated 25.11.2008
4	Gudha Vishnoiyan Conservation Reserve	Jodhpur	2.3187	P.3(2)Van/2011/ Dated 15.12.2011
5	Shakambari Conservation Reserve	Sikar, Junjhunu	131.00	P.3(16)Van/2009/ Dated 09.02.2012
6	Gogelav Conservation Reserve	Nagaur	3.58	P.3(17)Van/2011/ Dated 09.03.2012
7	Beed Jhunjunu Conservation Reserve	Junjhunu	10.4748	P.3(47)Van/2008/ Dated 09.03.2012
8	Rotu Conservation Reserve	Nagaur	0.7286	P.3(8)Van/2011/ Dated 29.05.2012
9	Ummedganj Pakshi Vihar Conservation Reserve	Kota	2.72	F3(1) FOREST/ 2012 dated 5.11.2012
10	Jawaibandh Leopard Conservation Reserve	Pali	19.79	F3(1) FOREST/ 2012 dated 27.02.2013
11	Bansial-Khetri Conservation Reserve	Jhunjhunu	70.1834	F3(13) FOREST/ 2016 dated 01.03.2017

12	Bansial-Khetri Bagore Conservation Reserve	Jhunjhunu	39.66	F3(13) FOREST/ 2016 dated 10.04.2018
13	Jawai Bandh Leapord Conservation Reserve II	Pali	61.98	F3(4) FOREST/ 2012 PT dated 15.06.2018
14	Mansa mata Conservation Reserve	Jhunjhunu	102.31	F3(9) FOREST/ 2013 Jaipur dated 18.11.2019
	TOTAL		**667.01**	
D	**Tiger Reserves**			
1	Ranthambhore Tiger Reserve	Sawaimadhopur, Karauli, Bundi, Tonk	1411.29	F3(34)FOREST/2007 dated 28.12.2007 (CTH Notification) and F3(34)FOREST/2007 dated 06.07.2012(Buffer Notification) Overlap with Ranthambhore National Park, Sawaimadhopur, Sawaimansingh Sanctuary, Keladevi Sanctuary and National Chambal Sanctuary.
2	Sariska Tiger Reserve	Alwar, Jaipur	1213.34	F3(34)FOREST/2007 dated 28.12.2007 (CTH Notification) and F3(34)FOREST/2007 dated 06.07.2012(Buffer Notification) Overlap with Sariska Sanctuary, Sariska A Sanctuary and Jamwaramgarh Sanctuary
3	Mukundara Hills Tiger Reserve	Kota, Bundi, Jhalawar, Chittorgarh	759.99	F3(8)FOREST/2012 dated 09.04.2013(CTH Notification) and F3(8)FOREST/2012 dated 09.04.2013(Buffer Notification) Overlap with Mukundara Hills National Park, Darrah Sanctuary, Jawaharsagar Sanctuary and National Chambal Sanctuary
	TOTAL		**1589.45**	**Excluding overlaps with National Parks and Sanctuaries**
	TOTAL AREA		**11782.56**	Excluding all overlaps between Tiger Reserves, National Parks and Sanctuaries

* Further accuracy being determined by digitization.

Annex-3

RAJASTHAN PROTECTED AREA ESZ NOTIFICATIONS STATUS

A.Final Notification Issued (14)

S. No.	Proctected Area	ESZ declared (Distance from PA boundary)	Status
1	Sitamata WLS	500 mt to 3 km	Final Notification vide S.O. 1191(E) [17.04.2017]
2	Sajjangarh WLS	250 mt to 5 km	Final Notification vide S.O. 107[07.01.2020]
3	Van Vihar WLS	1.5 mt to 5 km	Final Notification S.O. 938(E) [23.03.2017]
4	TodgarhRaoli WLS	0 to 1 km	Final Notification S.O. 1173(E) [13.04.2017]
5	Jamwaramgarh WLS	0 to 1 km	Final Notification S.O. 6212(E) [18.12.2018]
6	Bandh Baretha WLS (204.16 sq.km)	25 mt to 1 km	Final Notification S.O. 6319(E) [26.12.2018]
7	Nahargarh WLS (52.40 sq.km)	0 to 13 km	Final Notification S.O. 1220(E) [08.03.2019]
8	Keoladeo National Park (28.73 sq.km)	500m to 1.5 km	Final Notification S.O. 2606(E) [19.07.2019]
9	MHTR (759.99 sq.km)	0 to 1 km	Final Notification S.O. 4268(E) [25.11.2020]
10	Mt. Abu WLS (326.10 sq.km)	100 mt to 6.08 km	Final Notification S.O. 4047(E) [11.11.2020]
11	Ramsagar WLS	0-1 km	Final Notification S.O. 3632(E) [15.10.2020]
12	Jaisamand WLS	1.6 Km to 8.90 Km	Final Notification S.O. 2631(E) [06.08.2020]
13	Kesarbagh WLS	1 km uniform	Final Notification S.O. 2641(E) [28.08.2020]
14	Kumbhalgah WLS	0 to 5 km	Final Notification S.O. 1960(E) [18.06.2020]

B. Number of draft notification issued (03)

S.No	Protected Area	Distance	ESZ Area (Sq.Km)	Present Status
1	Shergarh WLS	1 km	Area to be finalized	Re- draft notification issued on 16.07.2018. The action on inclusion of forest block Barabati 'B' being carried out. **After finalizing the Shergarh WLS boundary, the revised proposal will be submitted after inclusion of Barabati 'B' block.**

2	**Bassi WLS 138.69 sq.km**	0 to 3 km	108 sq.km	Proposals for re-notification submitted in new formet on 07.01.2019. The additional information submitted to GOI on 04.07.2019. **Draft notification issued by GOI on 04.11.2019.** **Revised Proposal were sent to GOR on dated 09.11.2020.**
3	**Bhainsrodgarh WLS 275.465 sq.km**	0 to 9.6 km	304.70 sq.km	Draft Notification on 20.11.2015 and expired. Proposals for re-notification submitted in new format on 18.09.2018. **Ministry asked the clarification of area of Sanctuary on 26.09.2019.** There is a difference in sanctuary area. Reply yet to be submitted.

C. Number of Proposal draft notification not issued (07)

S.No	Protected Area	Distance	ESZ Area (Sq.Km)	Present Status
1	**NCS Chambal sanctuary**	0 km	0	Proposals submitted in new format on 16.10.2018. Govt. of India asked to submit revised proposal in connection with comments of WII. CWLW asked DCF to submit revised proposal after consultation of NCS committee headed by ADG WL and other two states. **Proposal to be submitted by DCF NCS SwaiMadhopur.** **On dated 11-11-2020 and 22-05-2019 letter written to DCF for reply of points by GOI dated 15-03-2019.**
2	**Talchapper WLS**	100 m to 3.4 km	19 sq.km	Letter Written to DCF Churu on dated 12-12-2019 to submitted proposals for re-notification submitted in new format on 25.09.2018. Additional Information sought by MoEF&CC in connection with minimum extent area of the ESZ by email 05.12.2019 **Reply yet to be submitted by DCF.**
3	**RamgarhVishdhari 303.43 sq.km**	25 m to 400m	9.43 sq.km	Proposals for re-notification submitted in new format on 05.10.2018. GOR submitted proposals to GOI. **Pending for notification at the level of MoEF&CC.**

4	**Sariska TR 1213.34 sq.km**	0 to km	208.96 sq.km	Proposals for re-notification submitted in new format on 20.08.2018. GoI asked additional information on 31.08.2018 and replied to GoI on 30.10.2018 **Submitted amendment draft proposal for declaration of Eco Sensitive Zone on 22.09.2020** **Sent to GOR.**
5	**RTR with keladevi WLS 1700.22 sq.km**	0.05 m to 1 km	665.85 sq.km	Proposals for re-notification submitted in new format on 27.11.2018. **NTCA requested to submit original map of tigerreserve on 09 Sep 2019.** **Despite of many reminders reply yet to be submitted by FD RTR/Dy FD.**
6	**Desert National Park sanctuary**	0-157 km	5699 sq.km	Proposal was submitted to MoEF&CC on 16.10.2018. MoEF&CC raised some queries dated 13.11.2018.Reply was submitted by DCF Wildlife Jaisalmer on 04.01.2019 but not complete. Meanwhile With the consent of Govt. of Rajasthan CWLW asked DCF wildlife jaisalmer to submit the revised proposal vide letter No. 1281 dated 17-09-2019 and 2260 dated 09-11-2020. **Proposal yet to be submitted by DCF wildlife jaisalmer.**
7	**PhulwarikiNal WLS (511.41 sq.km)**	1.00 km	230.6863 sq.km	Draft Notification issued on 31.08.2015 (S.O. 2383) Proposals for re-notification submitted in new format on 16.10.2018. **Pending at the level of MoEF&CC**

परिशिष्ठ–4

राज्य योजना में वर्ष 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 (माह दिसम्बर) तक उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2018–19					वर्ष 2019–20					वर्ष 2020–21			
		आय–व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय	आय–व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार में प्राप्त सहायता	व्यय	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय	आय–व्यय अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार में प्राप्त सहायता	व्यय (दिसम्बर, 2020 तक)	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय
1	संसाधन सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य	55.13	20		18.91		55.13	45.13		14.75		45.13		29.11	
2	परिश्राषित वनों का पुनरारोपण	2718.52	2728.74		2504.87		2996.97	3118.88		2826.45		2608.78		880.58	
3	जैव विविधता संरक्षण मय पारिस्थतिकी पर्यटन	422.57	350.13		320.27		447.17	224.57		191.4		246.82		185.22	
4	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	440	189.69	113.79	96.55	90.73	418.14	112.15		93.1	93.1	370.04	97.15	161.92	0
5	कृषि वानिकी	909.15	757.4		650.61		657.91	657.9		460.9		781.75		245.26	
6	बाघ परियोजना रणथम्भौर	1974.05	579.68	276.69	518.52	281.57	2140.92	910.88	341.66	664.72	333.77	927.99	264.28	409.34	142.37
7	बाघ परियोजना सरिस्का	780.11	610.52	364.44	509.45	288.67	946.07	1093.12	433.52	659.79	360.51	946.07	289.67	575.36	283.76
8	अन्य अभ्यारण्यों का संधारण	1179.03	1196.95	527.25	1024.98	359.64	1509.78	1265.36	559.45	1010.32	506.08	1286.37	247.97	159.03	27.52
9	गोरधन ड्रेन	110.01	110.01		110		120.01	170.01		144.95		110.01		60.27	
10	राष्ट्रीय मरू उद्यान का विकास	130	102.95	34.82	87.89	35.44	114	120	94.15	102.41	39.61	120	3.16	12.73	0
11	चिडियाघरों का सुधार	150.02	150.01		119.68		150.01	150.01	0	120.2	0	150.01		85.75	
12	संचार एवं भवन	367	242		187.52		294	248		131.29		140.01		38.77	
13	सांभर नम भूमि परियोजना	0.02	0.02		0		0.02	0.02	0	0	0	0.02		0	
14	भाखडा नहर वृक्षारोपण	414.33	350		344.9		517.28	589.7		493.52		522.18		171.04	
15	गंगनहर वृक्षारोपण	199.24	199.24		194.9		153.51	153.51		118.85		153.51		67.66	
16	कैम्पा कोष	20	20		18.72		15.32	0.01		0		0.01		0	
17	पर्यावरण वानिकी	886.75	753.25		610.8		233.5	315.75		230.05		275		86.54	

18	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	6000	5400		4515.92		4860	3325		1197.66		1206		900	
19	राजीव गांधी बायोस्फीयर रिर्जव	0.01	0.01		0		0.01	0.01		0		0.01		0	
20	पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास	200	45		42.89		100	50		22.27		50		25.52	
21	घना पक्षी विहार का विकास	136.3	114.3	31.49	100.07	36.04	144.63	114.63	25.97	49.66	10.62	115	12.66	49.31	0
22	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	103	59		58.62		95	60		38.3		72.55		32.97	
23	साझा वन प्रबंध का सुदृढिकरण	20	16		12.02		20	14		9.37		20		1.87	
24	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वनीकरण)	5250.36	2925.73		2801.88		2004.96	1200		1036.06		574.92		289.99	
25	जलवायु परिवर्तन एवं मरूस्थल नियंत्रण	2625.33	2202.91		1798.96		3275.26	3510.67		2855.31		3676.86		1417.86	
26	जैविक उद्यान कायलाना	0.03	0.03		0		0.02	0.03		0		0.03		0	
27	पक्षी राहत केन्द्र	5.02	5.02		4.32		5.02	2.02		3.42		5.02		2.56	
28	राज्य वन विकास अभिकरण	165	165	195.25	66	0	255.25	319.41	0	259.41	195.25	230	0	0	0
29	अवैध खनन की रोकथाम	228	228		223.47		0.02	0.02		0		10.01		0.48	
30	जैविक उद्यान, बीकानेर	600.03	100.03		100		350.03	350.03		12.04		350.03		10.84	
31	वन धन योजना	200	39.85		37.79		125	7.1		4.32		0.02		0	
32	मुकुन्दरा नेशनल पार्क	407.02	281.23	150.7	176.92	104.64	498.5	435	271.42	368.14	230.27	604.5	200.94	323	112.1
33	टाईगर सफारी आमली	100.01	0.02		0		0.02	0.02		0		0.02		0	
34	कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	0.01	0.01		0		0.01	0		0		0			
35	नाबार्ड पोषित जल सगरण परियोजना	0.02	0.02		0		0.02	0		0		0			
36	परम्परागत जल संसाधनों का रखरखाव	0.01	0.01		0		0.01	0.01		0		0.01		0	
37	वृर्षि वानिकी (पंचायती राज)	0.01	0.01		0		0.01	0		0		0			

38	आकल वुड फोसिल पार्क	300	0.01		0		150	0.01		0		0.01		0	
39	प्रोजेक्ट लेपर्ड	500	300		299.48		500	300		297.34		300		64.43	
40	गोडावण संरक्षण एवं चारागाह विकास	200	120		119.64		200	200		176.22		200		69.22	
41	स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट	50.62	50.62		39.33		0.01	0.01		0		0.01		10.11	
42	प्रोजेक्ट एलीफेन्ट (हाथी)	40	28.27	12.66	22.38	13.43	40	40	35.28	40	24	40	0	0	0
43	ग्रीन इंडिया मिशन	0.02	0.02		0		0.02	0.02	0	0		0.02		0	
44	इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे पुनः वृक्षारोपण						1190	1190		1049.2		1090		460.6	
45	कैम्पा						10000	10000.09		8009.61		10000.07		6197.1	
46	जूलीफ्लोरा का उन्मूलन ओर स्थानीय प्रजाति के पेडों का पौधारोपण						0.01	5		0		0.01		0	
	योग	27886.73	20441.69	1707.09	17738.26	1210.16	34583.55	30298.08	1761.45	22691	1793.21	27228.8	1115.83	13024.44	565.75

परिशिष्ठ–5

वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक कुल प्राप्तियां
एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 की तुलना में माह दिसम्बर 2020 तक कुल प्राप्तियों का वर्षवार विवरण

(राशि लाखों में)

क. सं.	राजस्व मद 0406	कुल प्राप्तियां 2017–18	कुल प्राप्तियां 2018–19	कुल प्राप्तियां 2019–20	बजट अनुमान 2020–21	माह दिसम्बर 2020 तक कुल प्राप्तियां
1	101–01 इमारती लकड़ी व अन्य उत्पाद की बिक्री से आय	8.40	29.05	107.71	125.00	107.64
2	101–02–जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	2651.45	2964.85	1773.02	3500.00	995.45
3	101–03–बांस में प्राप्तियां	318.22	288.15	306.75	500.00	262.00
4	101–04–घास तथा वन की शुद्ध उपज	277.44	156.75	126.13	275.00	233.63
5	101–06–तेदू पत्ता व्यापार योजना 01–तेंदू पत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	7834.28	3477.27	1080.22	4000.00	639.21
6	101–06–02–अन्य विविध प्राप्तियां	95.41	52.30	13.78	25.00	11.53
7	800–01–अर्थ दण्ड और राजसात्करण	1345.73	1525.58	1877.78	2000.00	1303.66
8	800–03–व्ययगत निक्षेप	0.60	0.10	0.00	0.10	-
9	800–04–ऐसे वनों में प्राप्त राजस्व, जिनका प्रबन्ध सरकार नहीं करती	1.93	4.01	2.62	5.00	6.22
10	800–05–अन्य विविध प्राप्तियां	1108.44	446.56	491.20	800.00	313.29
11	800–06–गैर वन भूमि के वृक्षारोपण के अधिगृहण की क्षतिपूर्ति से प्राप्तियां	831.61	1417.91	924.85	1400.00	306.00
12	050–01–अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	-	0.00	3.31	2.00	10.05
13	050–02–अनुपयोगी सामानों की निलामी से प्राप्तयां	7.22	9.14	2.35	1.90	3.29
14	02–111–01– चिड़ियाधर से प्राप्तियां	583.81	577.42	393.98	880.00	62.91
15	02–800–01– इको डवलपमेन्ट से आय	403.68	460.65	460.86	600.00	112.70
16	02–800–02 रणथम्भौर बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	909.91	1033.51	1061.72	1250.00	101.34
17	02–800–03–सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	40.56	41.82	45.88	70.00	14.38
18	02–800–04– रणथम्भोर बाघ परियोजना में ईको डवलपमेन्ट	1550.18	1548.20	1661.62	2100.00	212.66
19	02–800–05–सरिस्का बाघ परियोजना में ईको डवलपमेन्ट से आय	99.31	101.49	110.80	125.00	20.74
20	06–अन्य अभ्यारण्यों में प्रवेश शुल्क से आय	-	392.58	432.11	480.00	79.44
21	050–01–अनुपयोगी वाहनो के निस्तारण से प्राप्तियां	9.53	26.44	7.95	10.00	6.46
22	050–02–अनुपयोगी सामानों के निस्तारण से प्राप्तियां	11.37	22.65	16.84	10.00	2.58
	महायोग	**18089.08**	**14576.43**	**10901.48**	**18159.00**	**4805.18**

परिशिष्ठ–6

वार्षिक योजना की भौतिक प्रगति

क.सं.	योजना / मद	ईकाई	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21	
			उपलब्धियां	उपलब्धियां	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां (माह दिसम्बर, 2020 तक)
A	वानिकी					
i	कृषि वानिकी (पौध तैयारी)	लाखों में	51.4	43.55	45.68	18.23
ii	पर्यावरण वानिकी (वृक्षारोपण)	है.	150	158.66	300	300
iii	भाखडा नहर एवं गंग नहर वृक्षारोपण	है.	357.77	421.67	238.83	238.83
iv	परिभ्राषिंत वनों का पुनरारोपण (वृक्षारोपण)	है.	3050	4100	3800	3800
v	जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	है.	1448	2810	4100	4100
B	नाबार्ड					
i	नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	10950	0	0	0
C	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना					
i	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फैज –।। वृक्षारोपण	है.	0	0	0	0
D	इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे पुनः वृक्षारोपण	है.	0	541	427.48	427.48
E	राज्य वन विकास अभिकरण (SFDA)	है.	1400	0	0	0
F	कैम्पा	है.	8558.56	8632.83	12194	12090.16

परिशिष्ठ –7

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 (माह दिसम्बर, 2020 तक) वृक्षारोपण सम्बन्धित जिलेवार उपलब्धि

क.सं.	जिला	वृक्षारोपण(है0)				रोपित पौधे एवं बीजारोपण अंकुरित पौधे (संख्या लाखों में)			
		उपलब्धि 2017–18	उपलब्धि 2018–19	उपलब्धि 2019–20	उपलब्धि 2020–21 (दिसम्बर,2020)	उपलब्धि 2017–18	उपलब्धि 2018–19	उपलब्धि 2019–20	उपलब्धि 2020–21 (दिसम्बर,2020)
1	अजमेर	1056	910	1153	1069.70	6.27	5.92	6.91	8.10
2	अलवर	1460	1279	920	592.00	14.08	11.78	9.19	2.76
3	बांसवाड़ा	1262	1030	1500	782.36	7.98	6.31	7.52	4.14
4	बारां	3145	2111	222	590.48	25.52	15.41	4.52	7.49
5	बाड़मेर	432	857	485	291.20	2.59	8.23	4.64	2.17
6	भरतपुर	60	165	200	728.32	0.40	0.82	1.86	5.50
7	भीलवाड़ा	250	500	1020	1278.00	1.64	1.83	2.25	4.62
8	बीकानेर	924	739	571	1510.05	7.15	5.02	3.95	8.88
9	बून्दी	1142	969	220	544.52	9.34	4.52	1.30	3.14
10	चित्तौड़गढ़	2030	2243	1358	1235.68	13.27	14.34	3.92	9.82
11	चूरू	793	824	1024	944.00	4.67	3.79	4.35	4.26
12	दौसा	306	345	400	535.00	1.79	1.62	1.10	2.65
13	धौलपुर	1242	580	864	971.00	9.14	4.43	5.50	7.28
14	डूंगरपुर	1226	1871	1412	693.20	8.29	10.81	9.19	6.19
15	गंगानगर	926	704	610	628.76	6.40	4.99	6.10	6.59
16	हनुमानगढ़	566	752	608	986.63	4.45	6.07	4.48	4.07
17	जयपुर	1800	780	1321	1211.28	13.81	3.26	10.66	7.87
18	जालौर	1333	840	912	562.48	12.31	5.27	7.49	9.03
19	जैसलमेर	2778	754	1728	1350.36	18.12	4.40	10.59	10.27
20	झालावाड़	1295	1010	734	753.55	7.62	5.30	8.60	9.13
21	झुन्झुनूं	957	1082	1188	1769.00	6.35	6.49	7.13	9.90
22	जोधपुर	1644	651	632	974.86	8.26	3.02	3.44	2.26
23	करौली	1134	1110	308	911.95	6.67	5.28	1.87	4.98
24	कोटा	3648	2121	500	735.00	23.71	11.35	5.47	5.56
25	नागौर	498	335	237	989.12	3.19	1.15	1.46	5.31
26	पाली	1536	1357	783	726.00	9.71	5.89	4.14	2.92
27	प्रतापगढ़	1538	2438	1127	650.00	10.43	11.72	8.37	3.25
28	राजसमन्द	646	859	1150	100.00	4.61	4.08	1.48	0.41
29	सवाई माधोपुर	525	536	540	793.64	3.14	1.77	2.58	3.98
30	सीकर	1595	1351	1487	1300.11	7.15	7.15	8.61	9.18
31	सिरोही	1023	368	350	587.05	5.00	1.13	1.44	3.38
32	टोंक	1228	260	212	1070.76	7.98	4.25	1.95	7.66
33	उदयपुर	3875	3067	2732	1890.63	29.63	16.17	17.59	13.70
	कुल	**43873**	**34798**	**28510**	**29756.69**	**300.67**	**203.56**	**179.64**	**196.45**

परिशिष्ठ–8

विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों का विवरण

क.सं.	**न्यायालय का नाम**	**विचाराधीन प्रकरणों की संख्या (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति अनुसार)**
1	सर्वोच्च न्यायालय	34
2	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी)	18
3	उच्च न्यायालय जयपुर / जोधपुर	1657
4	सिविल सेवा अपील अधिकरण	171
5	अधीनस्थ न्यायालय	1883
6	अधिकरण न्यायालय	13
	योग	**3776**

परिशिष्ठ – 9

(अ) नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन व जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	01.04.2018 को बकाया		निस्तारण 2018–19		01.04.2019 को बकाया		निस्तारण 2019–20		01.04.2020 को बकाया		01.04.2020 से 31.12.2020 तक प्राप्त		31.12.2020 को बकाया	
		प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा
1	सी.ए.जी प्रतिवदेन	1	1	–	–	1	1	1	1	1	4	4	15	5	16
2	पी.ए.सी.प्रतिवेदन	5	70	–	10	5	60	–	5	5	55	2	5	7	51
3	ड्राफ्ट पैरा	–	4	–	1	2	3	–	1	–	2	–	–	–	–
4	तथ्यात्मक विवरण	–	2	–	1	–	1	–	1	–	–	–	2	–	2

(अ) महालेखाकार प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	01.04.2017 को बकाया		निस्तारण 2017–18		01.04.2018 को बकाया		निस्तारण 2018–19		01.04.2019 को बकाया		निस्तारण 2019–20		31.12.2020 तक लम्बित	
		प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा
1	महालेखाकार के आक्षेप	338	1206	26	242	367	1414	16	148	370	1620	14	131	384	1919

15 वीं राजस्थान विधानसभा संबंधित वन विभाग से सत्रवार पूछे गये प्रश्नों के प्रत्युत्तर प्रेषित किये जाने के कम में प्रगति विवरण (दिनांक 31.12.2020 तक)

विधान सभा/ सत्र संख्या	प्राप्त प्रश्नों/प्रस्तावों/आश्वासनों की संख्या	विधान सभा को प्रेषित जवाब की संख्या	राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित जवाब की संख्या	विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन जवाब की संख्या
(अ) तारांकित/अतारांकित एवं अंतःसत्र में पूछे गये प्रश्न				
सत्र–1	30	30	0	0
सत्र–2	131	130	0	1
सत्र–3	0	0	0	0
सत्र–4	131	127	0	4
सत्र–5	30	28	1	1
योग	322	315	1	6
(ब) विधानसभा प्रक्रिया एवं संचालन नियम 131/295 अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव				
सत्र–1	3	3	0	0
सत्र–2	16	16	0	0
सत्र–3	0	0	0	0
सत्र–4	28	28	0	0
सत्र–5	3	3	0	0
योग	50	50	0	0
(स) आश्वासन की क्रियान्विति				
सत्र–2 (2019)	6	6	0	0
सत्र–4 (2020)	6	1	1	4
योग	12	7	1	4

नोटः 14 वीं राजस्थान विधानसभा (सत्र–1 से सत्र–11 तक) में वन विभाग से संबंधित प्राप्त समस्त 767 प्रश्नों के प्रत्युत्तर विधानसभा सचिवालय को प्रेषित किये जा चुके हैं।

आरक्षित वन क्षेत्र ''खो-नागोरियान, जयपुर''

''एक घर एक पेड, संतुलन का यही है खेल''

मुख पृष्ठ : पैंथर (लेपर्ड रिजर्व, झालाना)

वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।